चतुर्दश माला, खंड 31, अंक 12

शनिवार, 1 दिसम्बर, 2007
10 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 15 July 2008

(खण्ड 31 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 31, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)

अंक 12, शनिवार, 1 दिसम्बर, 2007/10 अग्रहायण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
विश्व एड्स दिवस	2
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	3
लोक लेखा समिति	
इकसठवां प्रतिवेदन	3
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
चौबीसवां प्रतिवेदन	4
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
चौबीसवां और पच्चीसवां प्रतिवेदन	5
रेल अभिसमय समिति	
विवरण	4-5
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
भूजल स्तर में गिरावट आने तथा इसके फलस्वरूप देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम	6-22
श्री हंसराज गं. अहीर	6, 9-11
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	6-9, 16-22
श्री रेवती रमन सिंह	11-13
प्रो. रासा सिंह रावत	13-14
श्री शैलेन्द्र कुमार	14-15
श्री भर्तृहरि महताब	15-16
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	23
देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों की कमी से उत्पन्न स्थिति संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का स्थगन	
सभा का कार्य	23-26

सदस्यों द्वारा निवेदन

"आ जा नच ले" फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में 26-28

सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007 40

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री शिवराज वि. पाटील 40-43, 74-76

श्री तापिर गाव 45-47

श्री निखिल कुमार 47-51

श्री शैलेन्द्र कुमार 51-53

श्री गणेश प्रसाद सिंह 53-55

श्री भर्तृहरि महताब 55-57

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 57-58

श्री अब्दुल रशीद शाहीन 58-59

प्रो. रासा सिंह रावत 59-61

श्री देवव्रत सिंह 61-63

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 63-65

डा. सिबैस्टियन पॉल 65

श्री बिक्रम केशरी देव 66-67

श्री विजय बहुगुणा 67-68

डा. एच.टी. संगलिआना 68-69

श्री एस.के. खारवेनथन 69-70

श्री नन्द कुमार साय 71-72

श्री राम कृपाल यादव 72-74

खंड 2 से 156 और 1 77

पारित करने के लिए प्रस्ताव 78

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शनिवार, 1 दिसम्बर, 2007/10 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजकर पांच मिनट पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने पूर्व सहयोगियों श्री टी.ए. पाटिल और श्री चन्नैया ओडेयार के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री टी.ए. पाटिल, वर्ष 1962 से 1977 तथा तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सुयोग्य संसदविद, श्री पाटिल वर्ष 1969 से 1970 तक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

पेशे से कृषक, श्री पाटिल ने विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। वर्ष 1960 से 1961 तक वह डिवीजनल डेवलपमेंट काउंसिल (औरंगाबाद डिवीजन) के मानद संयुक्त सचिव तथा वर्ष 1957 से 1960 तक जिला विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे। उन्होंने सहकारी आन्दोलन में विशेष रुचि ली तथा वर्ष 1963 से 1968 तक कॉपरेटिव ऑयल इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में कार्य किया।

एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता श्री पाटिल ने हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में विलय के कार्य में सक्रिय भूमिका निभायी। वह तत्कालीन हैदराबाद राज्य में आर्य समाज आन्दोलन से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। वह छत्रपति शिवाजी कॉलेज, ओमेरगा की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे। श्री पाटिल, श्री कृष्ण शिक्षण संस्थान, गुंजोटी के सदस्य थे तथा उन्होंने वर्ष 1985 से 1995 तक इसके चेयरमैन के रूप में भी कार्य किया। मराठी पत्रिकाओं में उनके अनेकों लेख भी छपे।

श्री टी.ए. पाटिल का निधन 17 अक्टूबर, 2007 को 90 वर्ष की आयु में लातूर, महाराष्ट्र में हुआ।

श्री चन्नैया ओडेयार, वर्ष 1984 से 1996 तक आठवीं, नौंवी और दसवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने कर्नाटक के दावणगेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री चन्नैया ओडेयार वर्ष 1968 से 1980 तक कर्नाटक विधान सभा के सदस्य रहे।

एक सुयोग्य सांसद, श्री चन्नैया ओडेयार आठवीं लोक सभा के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और उद्योग, कृषि तथा सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। नौंवी लोक सभा के दौरान श्री चन्नैया ओडेयार गैर–सरकारी सदस्यों की विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति तथा वर्ष 1990 में कृषि मंत्रालय संबंधी परामर्शदात्री समिति सदस्य रहे।

एक प्रतिबद्ध सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्री चन्नैया ओडेयार वर्ष 1960 में ताल्लुका बोर्ड जगालूर के पहले प्रेजीडेंट रहे। वह कर्नाटक राज्य भेड़ और भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड के सभापति तथा कर्नाटक राज्य ऊन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। वह मैसूर और बंगलौर विश्वविद्यालयों की सीनेट के सदस्य भी रहे।

श्री चन्नैया ओडेयार का निधन थोड़े समय बीमार रहने के पश्चात् 19 नवम्बर, 2007 को 87 वर्ष की आयु में बंगलौर में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी और सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

विश्व एड्स दिवस

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीयताओं, जाति, वर्ण और धर्मों से निरपेक्ष, एड्स रोग आज समूची मानवता के लिए एक चुनौती बन गया है।

आइए, आज हम सभी एच.आई.वी. और एड्स का ज्ञान तथा जागरूकता बढ़ाने, इससे जुड़े पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने और असावधानीवश ऐसी भयावह बीमारी के शिकार हुए लोगों को सहायता और सहयोग देने में अपने प्रयासों के प्रति पुनः समर्पित हों।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो फिल्म 'आजा नच ले' आई है और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके प्रर्दशन पर रोक लगाई है, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हर बात के लिए समय है। मैं आपकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात सुनेंगे। आप बैठिए। हम कह रहे हैं कि आपकी बात सुनेंगे। फिर आप क्यों ऐसे कर रहे हैं?

[अनुवाद]

कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अनुशासन में रहिये। मैं आपकी बात सुनूंगा।

पूर्वाह्न 11.09¼ बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना सभा को देनी है:–

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 30 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 30 नवम्बर, 2007 को यथा पारित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007 को भी सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.09½ बजे

लोक लेखा समिति
इकसठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं "आमान परिवर्तन और नई रेल परियोजनाओं में परियोजना प्रबन्धन पद्धति" विषय पर लोक लेखा समिति (2007–2008) का 61वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.09¾ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
चौबीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रबिन्दर कुमार राणा (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2007–2008 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2007–2008) का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
चौबीसवां और पच्चीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वनलाल जावमा (मिज़ोरम) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति प्रस्तुत करता हूं:–

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित "केन्द्रीय विद्यालय संगठन, केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालय समिति तथा नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवेश और रोजगार में आरक्षण सहित सेवाओं में आरक्षण" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) से संबंधित "सिंडीकेट बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त ऋण सुविधाएं" के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

रेल अभिसमय समिति

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) "विद्यमान मार्गों पर भार कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों के विकास" के बारे में रेल अभिसमय समिति (1999) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल अभिसमय समिति (1999) के छठे प्रतिवेदन के अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अंतिम उत्तर।

(2) "सामरिक महत्व के आधार पर कोलायत और फलौदी के बीच बड़ी लाइन का निर्माण" के बारे में रेल अभिसमय समिति (1999) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल अभिसमय समिति (1999) के सातवें प्रतिवेदन के अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अंतिम उत्तर।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज के बिजनैस में नियम 193 के अधीन देश में आंतरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा होनी तय की गई थी। मेरी रिक्वैस्ट है कि यह चर्चा 5 दिसम्बर तक के लिए स्थगित कर दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा के विचार जानने दीजिए। क्या सरकार के पास कोई अन्य विधायी कार्य शेष हैं?

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में उपस्थिति भी कम है, इसलिए इसे 5 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बीच में बाधा नहीं बन रहा हूं, लेकिन मुझे सभा के विचार जानने हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, केवल कुछ दिन ही बचे हैं, लेकिन यदि इसे आप किसी और दिन के लिए जिसे आप ठीक समझें, आस्थगित कर दें तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : सुझाव 5 दिसम्बर 2007 के लिए है। क्या यह सभा का विचार है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मद संख्या 11 को 5 दिसम्बर, 2007 तक आस्थगित किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अपील करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा रूल फौलो कीजिए। कम से कम एक दिन तो रूल फौलो कीजिए। आपकी बात महत्व रखती है। मैं आपको जरूर मौका दूंगा। हम वचनबद्ध हैं।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। आपको मालूम है कि बिना इजाजत के बोलने पर आपकी बात रिकॉर्ड नहीं की जायेगी। जब आपको परमिशन मिलेगी तो आपका नाम भी रिकार्ड में जायेगा और आपकी बात भी।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भूजल स्तर में गिरावट आने तथा इसके फलस्वरूप देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम**

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें।

"भूजल स्तर में गिरावट आने तथा इसके फलस्वरूप देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य सभा पटल पर रखा जा सकता है।

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य श्री

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया, देखिए सं. एल. टी. 7554/2007

[श्री जयप्रकाश नारायण यादव]

हंसराज गं. अहीर द्वारा भूजल के स्तर में गिरावट से उत्पन्न होने वाली स्थिति के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:–

केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य के भूमि जल संगठनों द्वारा वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन का 433 बीसीएम (बिलियन घनमीटर) के रूप में संयुक्त आकलन किया गया है, जिसमें से निवल भूजल उपलब्धता (उपयोग के लिए) 399 बीसीएम आंकी गई है। कुल वार्षिक भूजल निकासी (ड्राफ्ट) 231 बीसीएम है। देश के भूजल विकास की समग्र स्थिति 58 प्रतिशत है।

उपरोक्त आकलन के आधार पर 5723 गत्यात्मक भूजल संसाधन आकलन यूनिटों (ब्लॉक/मंडल/तालुका) में से 839 यूनिटों को अतिदोहित 226 को "गंभीर" और 550 को "अर्द्ध गंभीर" के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। "अतिदोहित" क्षेत्र जहां पर वार्षिक भूजल निकासी वार्षिक पुनर्भरणी संसाधन से अधिक होती है, वे मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थित है।

पेयजल में गिरते भूजल स्तर/भूजल के अंधाधुंध उपयोग से बड़ी संख्या में रिहायशी बस्तियां पूर्ण सुविधा से "आंशिक सुविधा" और "सुविधा नहीं" की स्थिति में वापस आ गई हैं। अतः पेयजल आपूर्ति विभाग ने राज्यों को पेयजल का स्थायित्व सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग "त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम" (ए आर डब्ल्यू एस पी) नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के माध्यम से राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार मार्च, 2009 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जल गुणवत्ता की समस्याओं का समाधान करते हुए सभी अपूर्ण, सुविधा से वंचित रिहायशी बस्तियों के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करना चाहती है।

जल राज्य का विषय होने के कारण यह संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे संबंधित राज्यों में गिरते भूजल स्तर को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाई करें और सभी ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करें। तथापि, देश में भूजल स्तर के सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं:–

विनियामक उपायः-

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन और भूजल विकास के विनियमन के लिए देश में 43 अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित करना तथा भूजल निकासी संरचनाओं के पंजीकरण के लिए विभिन्न राज्यों में 65 अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित करना।

इसके अतिरिक्त भूजल निकासी संरचनाओं के पंजीकरण की अधिसूचना के लिए 746 अतिदोहित क्षेत्र प्रक्रियाधीन हैं।

– केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी अतिदोहित क्षेत्रों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के सभी उपाय करने और भवन उपनियमों में छत के वर्षा संचयन को शामिल किये जाने को सुनिश्चित करने के बारे में संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को परामर्श दिया गया है।

– केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में जहां भूजल स्तर भूमि सतह से 8 मीटर नीचे है वहां वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, संस्थानों, होटलों, उद्योगों, फार्म हाउसों के अधिसूचित क्षेत्र में वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने के निर्देश जारी किये हैं।

– जल संसाधन मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "भूजल के विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण" के लिए एक "मॉडल बिल" परिचालित किया है। अब तक 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल कानून का अधिनियमन किया है। 19 अन्य राज्यों में भी अधिनियमन की प्रक्रिया चल रही है।

संवर्धन उपायः-

– विभिन्न दावाधारकों के बीच अनुभवों की भागीदारी करने और कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद" का गठन।

– सलाहकार परिषद की सिफारिशों के अनुसार, जल संसाधन मंत्रालय ने लोगों की भागीदारी के माध्यम से भूजल संवर्धन की नवीन पद्धतियों को अपनाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओएस)/ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने के लिए भूमिजल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किए हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सितम्बर, 2007 में वर्ष 2007 के लिए ये पुरस्कार दिये गये।

– "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की मास्टर योजना" तैयार करना जिसमें देश में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की आवश्यकता वाले कुल 4.5 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र की पहचान की गई है।

– 6 राज्यों में अति-दोहित/गंभीर/अर्द्ध-गंभीर क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए "खुदे कुओं" के माध्यम से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी एक स्कीम का अनुमोदन किया गया है।

– केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर मैनुअल/गाइड का परिचालन करना ताकि वे

भूजल स्तरों में गिरावट की प्रवृत्ति की जांच करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

— 9वीं योजना में "भूजल के पुनर्भरण का अध्ययन" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों में 165 प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना। इन परियोजनाओं के माध्यम से जल संचयन और पुनर्भरण प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं।

— उपयुक्त पुनर्भरण संरचनाओं की पहचान करने तथा भूजल को उपयोग में लाने के लिए सही स्थानों का पता लगाने के लिए पुनर्भरण व्यवहार्यता मानचित्र तैयार करना।

— सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि की भागीदारी सहित पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा मई, 2007 में पेयजल आपूर्ति स्कीमों की सततता पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन।

— पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा "ग्रामीण पेयजल स्कीमों की सततता लाना" शीर्षक से तैयार किया गया एक दस्तावेज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त, 2007 में जारी किया गय और सभी राज्यों को परिचालित किया गया।

— ग्यारहवीं योजना के दौरान केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से 75 कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन अध्ययनों का कार्यान्वयन।

— केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड विभिन्न अभिकरणों यथा – राज्य सरकार अभिकरणों, शैक्षिक संस्थाओं, रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, निजी उद्यमियों और लोगों को वर्षा जल संचयन पर तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। देश के विभिन्न भागों में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण पर जनजागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है।

— शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग) ने इस बात को अनिवार्य करते हुए कि दिल्ली में 100 वर्ग मीटर और इससे अधिक के भूखण्डों पर बने सभी नए भवनों में भूजल जलभृत्तों में वर्षा जल अपवाह भंडारित करने के माध्यम सेजल संचयन की व्यवस्था हो, भवन उप–नियमावली 1983 में संशोधन किया है। इसी प्रकार, कुछ अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों ने भी छत के वर्षा संचयन को अनिवार्य किया है।

श्री हंसराज गं. अहीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी अगला विश्व युद्ध होगा, वह पानी के लिए होगा। मनुष्य के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन सब से महत्वपूर्ण है। आज देश में करीब–करीब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। शहरी क्षेत्रों में करीब 60 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत जल आपूर्ति भूजल से की जा रही है। इस कारण भूमिगत जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। एक सर्वे के अनुसार 1980 की तुलना में भूमिगत जल स्तर 5 से 6 मीटर तक नीचे गिर गया है। विश्व बैंक ने एक सर्वे किया और विश्व बैंक के सलाहकार सम्माननीय श्री जॉन ब्रिस्को ने भारत को चेताया है कि आने वाले दिनों में उन्होंने जो रिसर्च की है – इंडियास् वाटर इकोनोमी ब्रेसिंग फार ए टरबुलेंट फ्यूचर। इस विषय पर उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें कुछ देशों का नाम लिखा था। उसमें भारत का नाम भी है कि इन देशों में पीने के पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाले 15 वर्षों में आएगी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके जवाब में ऐसा नहीं दिखता कि उद्योगों को बाध्य किया जाएगा कि भूमिगत जल का उपयोग न करें। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारत देश में जिस तरीके से अनेक गांवों में पीने के पानी के लिए जनता त्रस्त है और उन्हें पीने का पानी आज जिस तरीके से मिल रहा है, उन्हें आसानी से पानी मिले, इसके लिए सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र में दो प्रकार की भूमि है। कुछ क्षेत्रों में फॉरेस्ट एरिया है और कुछ क्षेत्रों में फॉरेस्ट नहीं है। जहां पर फॉरेस्ट कम हैं, वहां पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके द्वारा वहां से भूमिगत जल का उपयोग बड़े–बड़े ट्यूबवैल या बड़े–बड़े कुएं बनाकर किया जा रहा है। पानी लिफ्ट करने से उसकी धारा बहुत ज्यादा होती है जिससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। अनेक ऐसे उद्योग हैं जहां सीमेन्ट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है या शीत पेय की इंडस्ट्री है। केरला में कोका कोला ने जिस तरह से भूमिगत जल का उपयोग किया है, उसके कारण वहां बड़े–बड़े आंदोलन हो रहे हैं। वहां पर किसानों के कुएं और ट्यूबवैल सूख गए हैं। जिस तरह से इंडस्ट्री द्वारा भूमिगत पानी लिफ्ट किया जा रहा है, उससे समस्याएं खड़ी हो रही हैं। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश में नदियों की कमी नहीं है। हमारा देश नदियों का देश कहा जाता है लेकिन इन नदियों का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। जहां पानी बेकार बह रहा है, उसे रोकने में हम असफल हुए हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आपका जो मंत्रालय है, इन नदियों के जल को बांध और बड़ी परियोजनाएं बनाकर रोकने से हम पूरे देश में भूमिगत जल स्तर ऊंचा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब हम मंत्री महोदय को पत्र लिखते हैं कि यहां पर कोई सिंचाई परियोजना बनाइए जिससे सिंचाई के लिए भी पानी होगा और लैवल भी ऊंचा आ सकता है तो जवाब यह आता है कि वहां फौरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट आड़े आ रहा है। उसके बहाने से जल संसाधन मंत्रालय

[श्री हंसराज गं. अहीर]

सिंचाई परियोजनाओं को नहीं लेता है। इन परियोजनाओं के माध्यम से भूमिगत जल स्तर ऊंचा हो सकता है और बहुत से गांवों में पीने के पानी की समस्या का हल हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहां पर हर गांव में, हर खेत में कुंए हैं, ट्यूबवैल हैं, पानी के लिए लोग वाटर लिफ्टिंग करते हैं। आने वाले समय में और भी कुंए बनाने पड़ेंगे, ट्यूबवैल बनेंगे। हम किस तरह से वाटर लैवल उठा सकते हैं, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। इस देश में जितनी नदियां बह रही हैं, उन सबका पानी जगह–जगह पर रोकने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। इससे सिंचाई में भी मदद मिलेगी और पीने के पानी की समस्या का भी हल होगा। जिस प्रकार इंडस्ट्री वाले वाटर लिफ्ट करते हैं, उसको रोकने के लिए कानून बनाएं। हम देखते हैं कि यहां जो सीमेन्ट इंडस्ट्री है, उन्होंने अपने–अपने एरिया में 200 ट्यूबवैल तब बनाए हैं जिनकी गहराई 250–300 मीटर तक है। इस कारण से पूरे गांवों के कुंए और ट्यूबवैल सूख गए हैं। यह समस्या इंडस्ट्री की वजह से भी आ रही है और इसको रोकने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए जाएं ऐसी विनती मैं करता हूं। देश में आने वाले समय में पीने के पानी के लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा, उससे देश को बचाने के लिए देश में जितने भी जल संसाधन हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है, यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। इसके लिए हम क्या कानून बनाने जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। मंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा कि पीने के पानी का विषय राज्यों का है और यह उनकी जिम्मेदारी है। मंत्री जी, जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, यह ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसे इस हेतु कानून बनाने चाहिए और राज्यों को निर्देश देने चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, इस सत्र की शुरुआत में माननीय नेताओं की बैठक में मैंने यह कहा था कि मैं नियमों का सख्ती से पालन करूंगा और केवल महत्वपूर्ण अवसरों पर मैं अपने अधिकार का प्रयोग करूंगा। यह एक मामला है जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। इसलिए, मैं चार अन्य माननीय सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं जिन्होंने आज सुबह दस बजे से पहले नोटिस देने का कष्ट उठाया है।

अब, श्री रेवती रमन सिंह। कृपया केवल दो अथवा तीन प्रश्न पूछिये।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं श्री हंसराज गं. अहीर जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाने का काम किया है। आज जैसा इन्होंने कहा कि यदि थर्ड वर्ल्ड वार होगी, तो पानी के लिए होगी, यह सही है। आप इस बात से अवगत हैं कि पहले हर गांव में चार या पांच तालाब होते थे, लेकिन धीरे–धीरे आबादी जैसे–जैसे बढ़ी, वैसे–वैसे वे तालाब खत्म होते चले गए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी, ज्यादातर तालाबों पर अभी–भी लोगों का कब्जा है और उसके कारण तालाब खत्म होते जा रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने, अपने पिछले साल के बजट भाषण में, जब उन्होंने वित्त विधेयक पेश किया था, बजट पेश किया था, तो उन्होंने बजट में तालाबों के लिए अलग से धन देने का प्रावधान किया था, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पैसा उन्होंने तालाबों के लिए एलोकेट किया, वह काम कहीं दिखाई नहीं देता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि वह पैसा कहां गया, कितने तालाब खोदे गए और कहां खोदे गए, इस बात से क्या वे सदन को अवगत कराएं?

मान्यवर, आज पानी इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसकी खपत बढ़ने के कारण किसी–किसी क्षेत्र में तो भूमिगत पानी का जलस्तर 20–20 और 30–30 मीटर नीचे चला गया है। इससे यह हो गया है कि गर्मी में देश के बहुत बड़े भू–भाग में पीने का पानी टैंकरों से भेजना पड़ता है, क्योंकि वहां पीने के पानी को भूमि के नीचे से निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पानी का दोहन इतनी तेजी से हो रहा है कि जगह–जगह हैंड पम्प लग रहे हैं और ट्यूबवैल भी बोर हो रहे हैं। हर प्रकार से पानी को दोहन हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे कोई व्यवस्था करेंगे कि पानी का जो दोहन इस प्रकार से हो रहा है, उसे रोका जा सके? मैं सुझाव देना चाहता हूं कि भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए तालाब से अच्छी कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती है।

मान्यवर, जहां तक मुझे याद है, आपने इस सदन में शहरों के लिए वर्षा के पानी की हार्वेस्टिंग और जल की रीचार्जिंग के लिए एक स्कीम की घोषणा की थी, लेकिन जहां हम लोग रहते हैं, वहां ऐसी कोई स्कीम हमें देखने को नहीं मिली। अब पता नहीं आपके बंगले में है कि नहीं या और मंत्रियों के बंगलों में है कि नहीं, लेकिन हम लोगों के बंगले में और मकानों में तथा और भी अन्य शहरों में वर्षा जल की हार्वेस्टिंग और जल की रीचार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट से एक एक्ट पास किया जाए, जिसके अनुसार शहर से लेकर गांवों तक पानी की रीचार्जिंग की व्यवस्था कैसे ज्यादा से ज्यादा की जा सके, इसका प्रयास किया जाए। गांवों में जिन लोगों ने तालाबों पर कब्जे कर रखे हैं, उनसे तत्काल कब्जे हटाकर उन्हें खाली कराया जाए। तभी हम आने वाले समय में आबादी को पानी दे सकेंगे।

मान्यवर, एक खतरा और पैदा हो गया है। मैं इस सदन का

ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि भूस्तर का पानी पॉल्यूटेड हो गया है। खेती में हमने जो केमीकल फर्टीलाइजर और पैस्टीसाइड्स यूज किए हैं, उनकी वजह से भूतल का पानी भी पॉल्यूटेड हो गया है। हमारी जितनी नदियां हैं, वे सब पॉल्यूटेड हो गई हैं। यह सरकार बार-बार कहती है कि नदियों को साफ करने के लिए हम बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यह कार्यवाही कहां हो रही है? इसका मुझे आज तक पता नहीं लगा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि वे केवल बयान न दें, केवल धन की व्यवस्था न करें, बल्कि इस बात की व्यवस्था कराएं कि भू-जल और नदियों का जल स्वच्छ रहे और जल स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, आपने नियमों में शिथिलता बरतते हुए मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जल ही जीवन है। भारत कृषि प्रधान देश है। इसलिए कृषि के लिए भी और प्राणी मात्र के लिए भी जल अत्यन्त आवश्यक है। राजस्थान राज्य में कई वर्षों से वर्षा में कमी के कारण जल संग्रहण बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, जो थोड़ा बहुत भू-जल था, उसका स्तर भी नीचे चला गया है। इसके परिणामस्वरूप हमारे यहां ़ड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है।

महोदय, मैं समझता हूं कि जल का दोहन तो बहुत हुआ है, लेकिन धरती का जितना पोषण, चाहे वनों को लगाकर, वनस्पति लगाकर, जल संग्रहण करके, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाकर, वॉटर शेड बनाकर अथवा कृषि की उन्नत पद्धतियों के माध्यम से, जिनमें फव्वारा पद्धति है, ड्रिप सिस्टम से, इस्राइली पद्धति से कम पानी के द्वारा कैसे अधिक फसलें पैदा की जाएं, इन सारी बातों की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया है। इससे जल का दोहन निरन्तर होता रहा, परिणामस्वरूप जल स्तर बहुत नीचे तक चला गया।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश पंचायती क्षेत्रों को डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। इससे किसानों को लोन मिलना बंद हो गया है। इसके अलावा जो पुराने कुंए, जहां पानी ठीक था, वहां थोड़ी और खुदाई करने पर हमें और अच्छा पानी मिल सकता था, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। नए कुंए खोदने की बात तो अलग, पुराने कुंओं पर भी सरकार ने पाबंदी लगा दी है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जल संग्रहण, जल के समुचित वितरण, धरती के पोषण और जल के दोहन को रोकने के लिए क्या आप नदियों को जोड़ने की जो योजना है, जहां एक तरफ बाढ़ है तो एक तरफ सूखा है, एक तरफ प्लेन्टी ऑफ वॉटर, एक तरफ स्कैरसिटी ऑफ वॉटर को देखते हुए बहुलता से न्यूनता की ओर ले जाने के लिए क्या प्रयास करेंगे, इसकी जानकारी सदन को देने की कृपा करें। इसके अलावा जो डार्क एरिया घोषित किए गए हैं, उनके लिए सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि ऐसे एरिया में कुंए है, जिनसे एक-आध फसल की बुआई की जा सकती है, उन कुंओं को गहरा करने की आज्ञा दी जाए ताकि थोड़ी-बहुत फसलें हो सकें, अन्यथा वहां अन्नाभाव पैदा हो जाएगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि भू-गर्भ जल स्तर कम होने की समस्या से निबटने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है ताकि धरती का पोषण भी हो सके और पेयजल संकट का समाधान भी हो सके। जल संग्रहण योजनाओं की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, इन मसले को रोकने की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, उन योजनाओं को रोजगार गारंटी के नाम पर बंद किया जा रहा है। यदि वॉटर शेड कार्यक्रम नहीं होगा, सोइल कन्ज़र्वेशन नहीं होगा और कुंओं को गहरा कराने पर पाबंदी लगा देंगे तो फिर जल का संग्रहण कैसे होगा?

महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में जब पंचवर्षीय योजनाएं बनी थीं, उस समय बड़े-बड़े बांधों का निर्माण किया गया था। हीराकुंड बांध, भाखड़ा-नांगल बांध, दामोदर घाटी योजना बनी थीं। लेकिन आज सारा देश महसूस कर रहा है कि बड़े-बड़े बांधों के स्थान पर छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा पानी उपलब्ध हो सके और कम पानी से ज्यादा फसल ली जा सके। इस संबंध में सरकार क्या योजना बना रही है? यदि सरकार की इस संबंध में कोई योजना है तो उसे सदन के सामने प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार रहूंगा।

अब श्री शैलेन्द्र कुमार।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में निर्धारित होने के बावजूद भी कि इस पर दूसरा तीसरा क्वश्चन नहीं होगा, लेकिन आपने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को महत्व देते हुए सम्मानित सदस्यों को जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और जिन सम्मानित सदस्यों ने, माननीय अहीर जी जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाये हैं, रेवती रमण सिंह जी और रासा सिंह रावत जी ने जो बातें यहां पर रखीं, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, यह बात सत्य है कि आज ग्रामीण स्तर पर हमारे चाहे पेयजल के नलकूप हों या सिंचाई करने वाले नलकूप हों, या पेयजल से संबंधित जो हैंडपम्प हैं, उनमें वाटर स्ट्रेटा इतना नीचे गिर गया है कि सब पानी छोड़ गये हैं। जब हम लोग विभाग को, जल निगम या सिंचाई विभाग से कहते हैं तो वो कहते हैं कि वाटर

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

स्ट्रेटा डाउन होता जा रहा है, इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए आप पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

दूसरी बात, जो गांवों में तालाब हैं, वे ज्यादातर पट गए हैं, उन पर इतना एन्क्रोचमेंट हुए हैं कि भू–माफिया ने तालाबों को बेचकर उस पर मकान बनवा लिये हैं। इसमें मैं आपसे चाहूंगा कि इसके लिए कारगर कदम उठायें। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो तालाब एन्क्रोच हो गए हैं, उनको तत्काल खाली कराया जाये और उनका उत्खनन कराया जाये, तभी जाकर गांवों के तालाबों में पानी आयेगा, तभी हमें इससे निपटारा मिल सकता है।

तीसरी बात, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम छोटी नदियां हैं, बड़ी नदियों की बात तो अलग है, उनको जोड़ने की परियोजना चल रही है, वह इसमें बहुत अच्छा कारगर कदम होगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटी–छोटी नदियां हैं, उन पर धन उपलब्ध कराकर चैक डैम बनवायें और एक–एक, डेढ़–डेढ़ किलोमीटर पर अगर चैक–डैम बन जाएंगे तो मेरे ख्याल से पानी रुकेगा और ओवरफ्लो होकर बाहर चला जायेगा और बाकी पानी रुकेगा। उससे वाटर स्ट्रेटा भी मेनटेन रहेगा और तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सिंचाई एवं नहाने–धोने और पशु–पक्षियों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

अभी रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि बहुत बड़े–बड़े बंगले हैं, बहुत बड़े–बड़े सरकारी जो अधिष्ठान हैं, वहां पर जो वाटर रीचार्जिंग सिस्टम है, बोर करके जो वेस्टेज या बरसात का पानी है, उसको जमीन के अन्दर तालाब में डाला जाये, जिससे वाटर स्ट्रेटा ऊपर आ जाये, इसके लिए भी कोई कारगर कदम उठायें।

इन सारी बातों के अलावा मैं, अध्यक्ष जी, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि आपको इस बात से प्रसन्नता होगी कि संसद परिसर में अध्यक्ष के सरकारी आवास के अतिरिक्त वर्षा जल भण्डारण सुविधाएं भी हैं। मेरा विश्वास है कि डा. कथीरिया ने अपने आवास में भी यह व्यवस्था की है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले में सभी सहायता देगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा। आप पहले व्यक्ति होंगे।

अब, श्री भर्तृहरि महताब।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : भूजल स्तर में गिरावट खतरे के स्तर तक पहुंच गया है। मुझे दो प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार भूजल के उपयोग, विशेषकर औद्योगिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रही है। चूंकि जल राज्य का विषय है इसलिए क्या सरकार द्वारा विशेषकर औद्योगिक उपयोग हेतु भूजल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकारों को विश्वास में लेने हेतु कोई प्रयास किया जा रहा है।

जैसा कि हमने देखा है और वक्तव्य में श्री माननीय मंत्री ने बताया है कि यहां पर कुछ संकटपूर्ण क्षेत्र तथा अति–शोषित क्षेत्र हैं और तदनुसार लगभग 50% ब्लॉकों और तालुकों को इस संकटपूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों को एक निश्चित स्तर अर्थात् 200 मीटर, 300 मीटर अथवा 500 मीटर तक ट्यूबवैल की गहराई को सीमित करने हेतु कोई सुझाव दिया है ताकि भूजल के ऊपरी स्तर का उपयोग किया जा सके और यह एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं जाए।

एक अन्य समस्या जिसे मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं वह है लवणता (खारापन) जो कि अधिकांश तटीय राज्यों में मौजूद है। उड़ीसा इसका सामना कर रहा है। बंगाल में भी यह मौजूद है। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अधिकांश भाग में भी यह है। कृषि उद्देश्यों और अन्य औद्योगिक उद्देश्यों हेतु भूजल के अति–उपयोग के कारण लवणता विद्यमान है। जैसा कि हमारे पास विशिष्ट जोन है जिसका सीमांकन किया गया है कि तट–रेखा से 500 मीटर के भीतर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है तथा उसी तरह क्या सरकार कोई कानून लाने पर विचार कर रही है ताकि आप तट से एक निश्चित दूरी तक भूजल के उपयोग को सीमित कर सके ताकि आप मुख्य भूमि में फैल रही लवणता को रोक सकें? धन्यवाद, महोदय ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डिस्कशन का पूरा मौका देंगे, लेकिन इसके लिए आप नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, एक अति महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में माननीय सदस्य के द्वारा लाया गया और चर्चा में यह बात सामने उभरकर आयी कि अंडरग्राउण्ड वाटर यानी भूजल का हम बेहतर सदुपयोग करें। इसका दुरुपयोग न हो। देश में जो आकलन हुआ, उसके मुताबिक 5723 यूनिट (ब्लॉक/ताल्लुक/मंडल) में से 839 अति दोहित क्षेत्र हैं, उनमें से 226 को गंभीर माना गया है और 550 को अर्द्धगंभीर श्रेणी में रखा गया है। अतिदोहित क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आते हैं। इसके लिए सरकार ने कदम उठाया है कि जो हमारे अतिदोहित क्षेत्र हैं, जहां जल का अतिदोहन हो रहा है, वहां हमें व्यापक रूप से जागरूकता पैदा

करनी चाहिए और इस ख्याल से एक मॉडल बिल भी बनाने का काम किया गया और इसे 10 राज्यों में कार्यान्वित किया गया।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : महोदय, यह सब स्टेटमेंट दिया हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए, यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : अगर आप संतुष्ट हैं, तो कोई बात नहीं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको अपने सहयोगियों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदय, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, गोवा, केरल ...*(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़ आदि हैं। मॉडल बिल अधिनियम 10 राज्यों में कार्यान्वित किया गया और 19 राज्यों में मॉडल बिल की तर्ज पर कानून बनाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। कानून की आवश्यकता नहीं समझने वाले राज्यों ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे 6 राज्य हैं। ...*(व्यवधान)* जिन राज्यों ने लागू न करने को कहा है उनमें नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब हैं। मॉडल बिल के आधार पर कार्यवाही आगे चल रही है। जल राज्य का विषय है। हमें राज्य का सहयोग लेकर उसे आगे बढ़ाना है, इस आधार पर कि कैसे हम पानी को बेहतर बचाव कर सकें, कैसे इसका बेहतर प्रबंधन कर सकें, कैसे भूजल को सुरक्षित रख सकें? आज यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में भूजल स्तर गिरता जा रहा है और यह नीचे जा रहा है। माननीय सदस्यों ने ठीक ही सवाल उठाया कि जो हमारे पुराने वाटर बॉडीज थे, जो जमींदारी बांध थे, जो पौंड्स या तालाब थे, जिनका रख–रखाव हमारे पुरखे करते थे, लेकिन धीरे–धीरे परिस्थितिजन्य आधुनिकीकरण में हमने चीजों को नहीं समझा और तालाब या पौंड्स को भरते गए। इसके कारण बहुत बड़ी परेशानी हुई और आज यह परिस्थिति पैदा हो गई कि तालाब भर गए हैं। हमें वाटर बॉडीज का पुनरुद्धार करना है, उन्हें पुनर्जीवित करना है, हमें लिफ्ट इरीगेशन को महत्व देना है और हमें नदियों में चेक डैम बनाकर पानी को रोकने का काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दसवीं योजना में वाटर बॉडीज के पुनरुद्धार के लिए 3 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। उसका प्रावधान करके हमनें पॉन्ड्स और तालाबों के पुनरुद्धार का काम किया है। उसे बढ़ायेंगे। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विश्व बैंक पोषित योजना के अंतर्गत जिसमें दस हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, दसवीं योजना के तहत 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, 180 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं, 1098 जलाशयों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी गई है हम वाटर बाडीज का पुनरुद्धार करना चाहते हैं और वे उसकी समेकित रूप से रिपोर्ट दें। कई राज्यों से लिखित रूप से रिपोर्ट मांगी गई है। इस बारे में कई बार चर्चा हुई है, लेकिन कुछ राज्यों से रिपोर्ट मिली है और कुछ राज्यों से नहीं मिली है। जब राज्य सरकारें रिपोर्ट भेज देंगी तो नदी और तालाब के लिए जो राशि आबंटित की गई है, उसके आधार पर उसका पुनरुद्धार और पुनर्जीवित करने का काम किया जाएगा। इसके लिए बेहतर से बेहतर कदम उठाए गए हैं।

माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि औद्योगिक परिस्थिति पैदा होने के कारण जल स्तर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है जिसके कारण परेशानी होती है। शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, जनसंख्या का भार बढ़ रहा है, उसके कारण यह परेशानी है। बहुत सी इंडस्ट्रीज उन इलाकों में लग रही हैं जहां पानी का लेवल कम है। सरकार ने इस बारे में ख्याल किया है कि उन इलाकों में उद्योग लगने चाहिए जहां पानी की अधिकता हो। इन्फ्रास्ट्रक्चर सहज ही बन जाता है, लेकिन उन इलाकों में जहां पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है, उद्योग लगने से वहां का जल स्तर और गिर जाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इन व्यवधानों को कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर को ऐड्रेस कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप समस्या क्यों उत्पन्न करते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, समेकित रूप से सब राज्यों को कहा गया है। इस सदन में किसी एक राज्य को इंगित करके बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन जब माननीय सदस्य बार–बार उठकर अपनी बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि आपके

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जय प्रकाश नारायण यादव]

माध्यम से अपनी बात कह देनी चाहिए। वाटर बाडीज के लिए केन्द्र सरकार, स्वयं हमने पत्राचार किया है। मेरे पास डॉक्यूमैंट हैं और मैं उसे आपको दे दूंगा। जो माननीय सदस्य बार-बार खड़े हो रहे हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए, संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करना चाहिए और केन्द्र और राज्य के संवैधानिक दायित्व का निर्वाह होना चाहिए। इसीलिए मैं इन बातों की चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो मैं और खुलासा करके यहां पत्र रख दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनके द्वारा किए जा रहे व्यवधान से आप विचलित न हों।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, आप बोलते रहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई भी अंश कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कोई भी व्यवधान कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, एक सैकिंड हमारी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, माफ कीजिए। इन दिनों इस प्रकार की कोई प्रणाली नहीं है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप चुप रहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदय, इस सदन में अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आपने कहा कि सदन सार्वभौम है, इसलिए इस बारे में व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए। सब माननीय सदस्यों ने इसकी प्रशंसा की है ...*(व्यवधान)* मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस चर्चा के माध्यम से नतीजा सामने आ रहा है कि केन्द्र सरकार ने क्या किया और राज्यों की क्या जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह जरूरी है। इसलिए यदि उन बातों को फिर से दोहराएंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मुझे बिहार राज्य में सिर्फ जमुई एवं नालंदा से रिपोर्ट मिली है, और बिहार में कहीं से आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सदन में इन बातों को कहने से अपने को रोक नहीं पाया। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इसके लिए माफ करेंगे। लेकिन जहां तक हमारा कार्यक्रम है कि कैसे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ायें। माननीय सदस्यों ने आज वाटर बॉडीज के जल स्तर का यहां पर सवाल उठाया है। हम कैसे वाटरशेड मैनेजमेंट के माध्यम से, आर्टिफिशियल रिचार्ज के माध्यम से हम पानी की लेयर को ऊपर लाने का काम करें? इसके लिए लगातार वाटरशेड मैनेजमेंट, जो वर्षा जल संचयन है, रूफ वाटर के लिए अभियान चला रहा है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से हम इसके लिए अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। अब दिल्ली, महाराष्ट्र या जितने भी बड़े शहर हैं, उन सभी को जल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली है और उन्हें इसे करने का अधिकार है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा नहीं कीजिए। यह उचित नहीं है। नहीं, इसे अविलम्ब हटाया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, वे बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली है। इसमें क्या गलत है यदि वे आपस में बात करते हैं।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : माननीय सदस्य प्रभुनाथ सिंह जी को हम भी जानते हैं और वे हमको भी जानते हैं। हम 1980 से बिहार सदन के विधायक रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम उनके पहले से सदस्य रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : हम उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं लेकिन वे बोले इसलिए हम बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे तो डायवर्ट करना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत और अधिक सदस्यों को माननीय मंत्री के समक्ष प्रश्न रखने की अनुमति दी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप यह छोड़िये। सारी बातें आपकी पसंद की होंगी, यह तो ठीक नहीं है। क्या आपकी बात सबको पसंद है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया यहां पर राज्य की राजनीति नहीं लाइये।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रोग्राम है कि कैसे अंडरग्राउंड वाटर, जहां अतिदोहन हो रहा है और जहां दोहन होने के बाद जल स्तर नीचे चला गया है, का बचाव किया जाये, इसके लिए यूपीए गवर्नमैंट ने कमर कसकर, मजबूती से तैयारी करके दस हजार करोड़ रुपये की स्कीम बनाई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में 300 करोड़ रुपए देकर वाटर बॉडीज़ को जिंदा करने का काम किया जा रहा है। इससे आगे वर्षा जल संचयन के अभियान को स्कूल, कॉलेजों, गांव, गलियों में चलाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा पार्टीसिपेशन महिलाओं का है। उनकी जन-जागरूकता अभियान में बड़ी भागीदारी है। इसके लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए आर्टिफिशियल रिचार्ज और वर्षा जल संचयन और अन्य जो हमारे माध्यम हैं, उससे उत्तर और दक्षिण में जहां भी पानी की लेयर कम है, उसे सुनिश्चित करने के लिए हम अभियान चला रहे हैं और सबका इसमें सहयोग ले रहे हैं। जहां तक नदियों को जोड़ने का सवाल उठाया गया है, तो यूपीए गवर्नमेंट ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इसके लिए अपना प्रोग्राम बनाया है। उसे टॉप प्रायरिटी दी है और कहा है कि देश की नदियों को जोड़ने में हम अहम भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके लिए वर्ष 1980 में तैयारी की गई थी और वर्ष 1982 में एक कमेटी बनायी गई थी। वर्ष 2004 में उसकी रिपोर्ट ले हो गई। इसके तहत केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। यह यूपीए गर्वनमैंट में हुआ है। यूपीए गवर्नमेंट की मान्यता है कि हम सिर्फ देश की नदियों को ही नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम राज्य की नदियों को भी जोड़ेंगे। यूपीए सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी तथा सोनिया गांधी जी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में योजना बनाई है, उसके प्रथम चरण में बिहार की छः नदियों और महाराष्ट्र की 15 नदियों को जोड़ने की योजना की संभाव्यता रिपोर्ट बनाने की प्रस्ताव है। इसलिए आज देश और राज्य की नदियों को जोड़ने का सवाल, गिरते हुए भू-जल के लिए अवेयरनेस पैदा करना, इसके लिए तकनीकी सलाह लेना ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भूजल के स्तर में गिरावट के संबंध में था। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता, उत्तर-पूर्व) : यह देश में गिरते हुए भूजल स्तर के संबंध में था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : इसके लिए वैज्ञानिकों की सलाह लेना और सदन में सब लोगों का सहयोग लेकर इन कामों को हम अमलीजामा पहनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, मैं आपके बहुत ही अच्छे उत्तर के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा है कि आपका ध्यान सभी व्यवधानों के होने के बावजूद भी मुद्दे से नहीं हटा है।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.50 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

देश में विभिन्न भागों में उर्वरकों की कमी से उत्पन्न स्थिति संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का स्थगन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 9 महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : परन्तु इसमें स्थगन हेतु कुछ अनुरोध किये गये हैं क्योंकि आज सामान्य कार्यदिवस नहीं है। अतः, उस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैंने इसे 5 दिसम्बर, 2007 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। मैं आभारी हूं चूंकि माननीय मंत्री उपस्थित हैं और वे इसे आगे बढ़ाने को तैयार हैं, परन्तु यह ऐसा मामला है जिस पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए, इसे 5 दिसम्बर, 2007 को लिया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.51 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि 3 दिसम्बर, 2007 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किये जाएंगे:–

1 आज के आदेश पत्र में से सरकारी कार्य की किसी भी बची हुई मद पर विचार।

2 राज्य सभा द्वारा यथा पारित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007 पर विचार तथा पारित करना।

3 निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना:–

(क) संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2007; और

(ख) संविधान (एक सौ सातवां संशोधन) विधेयक, 2007

4. राज्य सभा द्वारा निम्नलिखित विधेयकों को पारित किए जाने के पश्चात् उन पर विचार तथा पारित करना:

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007;

(ख) सशस्त्र बल अधिकरण विधेयक, 2005; और

(ग) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007

5. राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2006 पर विचार तथा पारित करना।

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीपाद येसो नाईक – उपस्थित नहीं।

श्री पी.सी. थामस – उपस्थित नहीं।

श्री हंसराज गं. अहीर

आपकी अत्यधिक प्रभावी भागीदारी हेतु मुझे आपको धन्यवाद देना होगा।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को विचार हेतु सम्मिलित किया जाए:

1. देश के उत्तरी पूर्व राज्यों और गुजरात के भूकंप–प्रवण क्षेत्र भुज की तरह किसान आत्महत्या प्रभावित तथा अत्यधिक पिछड़े विदर्भ क्षेत्र के उद्योगों को सभी करों में छूट देने की आवश्यकता।

2. केन्द्र सरकार द्वारा विदर्भ की सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव भारी संख्या में लंबित हैं। अनुमान के अनुसार करीब 71 लंबित विभिन्न परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति देकर इसका शीघ्रातिशीघ्र निपटान कराने में केन्द्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाये:

1. संसद के वर्तमान सत्र के दौरान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के संरक्षण हेतु विधेयक को लाने की आवश्यकता।

2. उड़ीसा में आई.आई.टी. की स्थापना करने की तत्काल आवश्यकता

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज (इडुक्की) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य–सूची में शामिल किया जाये:

1. माननीय कृषि मंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति के संबंध में चर्चा।

2. भारतीय नागरिकों की कुवैत युद्ध संबंधी क्षतिपूर्ति जिसे यू.एन.सी.सी. द्वारा अभी दिया जाना है के लंबित दावों के संबंध में चर्चा

[हिन्दी]

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी) : महोदय, कृपया अगले सप्ताह की लोकसभा की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने की कृपा करें:

1. नन्दीग्राम रेल सेवा के नागपुर तक विस्तार एवं देवगिरी रेल सेवा का विस्तार सिकन्दराबाद तक किए जाने के बाद परबनी के लोगों को इन रेल सेवाओं में काफी भीड़–भाड़ मिलती है और परबनी से मुम्बई के बीच कोई रेल सेवा वर्तमान समय में नहीं है, के लिए परबनी से मुम्बई के बीच दो नई रेल सेवा शुरू करने का कार्य।

2. मराठवाड़ा पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु एवं उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु हजीरा मराठवाड़ा के बीच नई गैस पाइप डालने का कार्य।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:

1. राजस्थान में उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों से भारत सरकार को होने वाली सभी प्रकार से अर्जित पेट्रोलियम लाभ का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य का दिए जाने की आवश्यकता।

2. राजस्थान के लाखों व्यक्तियों की रोजी–रोटी का सहारा बनने वाले एक मात्र मार्बल उद्योग एवं उससे जुड़े लोगों को हो रही हानि से बचाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कम मात्रा में विदेशों से मार्बल आयात किए जाने एवं कुछ ही सक्षम आयात करने वालों को ही पारदर्शी निर्देशिका बनाकर आयात लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यवाही की सूची में शामिल करने का कष्ट करें:

1. इन्टरसिटी रेल सेवा का ठहराव किडीहिरपुर व नूनखार में लिच्छवी एक्सप्रेस का ठहराव, लार रोड पर कृषक रेल सेवा का ठहराव, नूनखार में पूर्व की भांति एवं दुर्ग एक्सप्रेस सलेमपुर एवं बिल्थरा रोड़ पर ठहराव किए जाने का कार्य।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर अंतर्गत सलेमपुर रेलवे स्टेशन एवं बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन पर विश्रामालय बनाने का कार्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की संसदीय कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:–

1. राजस्थान में उर्वरक और बिजली की समस्या गम्भीर है।

अध्यक्ष महोदय, इस पर होने वाली चर्चा आपने पांच दिसम्बर तक के लिए पोस्टपोन कर दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

2 राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी घोषणा दिल्ली से जयपुर 6 लेन बनाने की की गई थी, उसका निर्माण कार्य शीघ्र चालू किया जाए। वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में इस बारे में कहा था। दिल्ली–जयपुर हाईवे अभी फोर लेन है, लेकिन जयपुर से दिल्ली अब भी जल्द नहीं पहुंच सकते, करीब पांच घंटे लग जाते हैं। इसलिए, इसके सिक्स लेन के कार्य को चालू किया जाए। दूसरी बात यह है कि यह हाईवे टोल रोड है और टोल टैक्स आफिस बना हुआ है। उसमें आज से ही बस के लिए टोल टैक्स 240 रुपए के बजाय 400 रुपए कर दिया है। इसी तरह से कारों आदि के लिए 55 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए टोल टैक्स कर दिया गया है और हैवी व्हीकल्स के लिए 850 रुपए तक टोल टैक्स कर दिया गया है। यह बढ़ोत्तरी चार गुना कर दी गई है। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और टोल टैक्स को कम करना चाहिए। दिल्ली से जब जयपुर जाते हैं तो जयपुर से पहले यह टोल टैक्स आफिस पड़ता है। उसके लिए मैंने यह निवेदन किया है।

पूर्वाह्न 11.57 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

"आ जा नच ले" फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, अगले बैंच पर आइए और बोलिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बहुत दिनों के बाद पीछे से आगे बुलाया है। ...*(व्यवधान)* कल 'आजा नच ले' नाम की एक फिल्म रिलीज हुई है। यह फिल्म ...* प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। इस फिल्म के एक गाने मोची कभी सुनार नहीं बन सकता, ऐसा उल्लेख है। ...* इसकी एक्ट्रेस काफी दिनों के बाद, शादी के बाद, दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में लौटी हैं और उनकी यह पहली फिल्म है। मैं ...* बताना चाहता हूं कि आजा नच ले...

अध्यक्ष महोदय : नाम नहीं लेना चाहिए।

श्री रामदास आठवले : मेरा इतना कहना है कि इस फिल्म को बैन किया जाए। मैंने इस संबंध में प्रियरंजन दासमुंशी जी से भी बात की है। इस फिल्म के एक गाने में जो यह अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया है, उसके गीतकार * हैं, जो आरएसएस से संबंधित हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : इसका आरएसएस से क्या संबंध है?

श्री रामदास आठवले : हमारी मांग है कि इस फिल्म को बैन किया जाए और इसमें शामिल लोगों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चलाया जाए। दासमुंशी जी का यह विभाग है इसलिए उन्हें इस पर कुछ कहना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता – उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, आजकल कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसका हाईप तैयार किया जाता है। जिस फिल्म की पूरा देश और हम चर्चा कर रहे हैं, उसका भी इस तरह से हाईप तैयार किया गया है। लेकिन हमारी भाषा, हमारी शब्दावली और कहावत में ऐसे कास्टिस्ट्स एक्सप्रैशंस हैं। अफसोसजनक बात यह कि 21वीं सदी चल रही है, लेकिन हम आज भी कभी–कभी संवेदनशील नहीं हो पाते। जिस तरह से हम पेशे को समझ लेते हैं कि वह वैसा ही रहेगा, उसी तरह से इस फिल्म के एक गाने में इस तरह की लाइन लिखी गई है। हम समझते हैं कि यह लोकतांत्रिक परम्परा के खिलाफ है। हम लोकतंत्र में किसी भी खानदान या पेशे से आते हों, हमें पूरा अधिकार है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, यह संविधान ने भी गारंटी दी है। लेकिन हमारी भाषा में कोई कवि या शायर अगर उस चीज के बारे में संवेदनशील नहीं होगा, तो फिर उस समाज या व्यक्ति के साथ अन्याय होगा। इसलिए सरकार को भी सेंसेटिव होना चाहिए और फिल्म सेंसर बोर्ड को भी सेंसेटिव होना चाहिए। इसके साथ ही पूरे देश में संवेदनशीलता होनी चाहिए कि हम जो शब्द या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम समाज के किसी वर्ग को अलग तो नहीं समझ रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब, आपने गाना सुना है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : इसमें दोष फिल्म निर्माता का है, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। इसमें ...* का क्या दोष है?

अध्यक्ष महोदय : यह नाम प्रोसीडिंग से हटा दिया जाएगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री जी उत्तर देना चाहेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा प्रकरण नहीं देखा है। मुझे यह सूचना केवल समाचारों और टी.वी. पर देर रात आने वाली खबरों से मिली थी।

मैं जानता था कि यह मामला सभा में आएगा और इसीलिए मैंने अपने कार्यालय से परामर्श किया था। सदस्यों को जानकारी होगी कि सरकार केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड जिसकी अध्यक्षा बहुत ही प्रतिष्ठित और कुशल अभिनेत्री सुश्री शर्मीला टैगोर जी हैं, के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जब कभी भी सेंसर बोर्ड में हम किसी फिल्म का मूल्यांकन करते हैं और यदि कोई निर्माता या दर्शक या कोई अन्य व्यक्ति को इस फिल्म पर कोई आपत्ति होती है तो उसे अपील करने का अधिकार है जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश करता है। इस समय दिल्ली उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऊषा मेहरा जी अपील सुनती हैं।

अब तक, अपील बोर्ड में इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। परंतु जब हमने यह सुना कि उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस प्रकार की चीजों पर हमारी सं.प्र.ग. सरकार की ऐसी नीति है कि देश में ऐसा कुछ भी न हो जिससे किसी समुदाय, जाति या धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों। यह बहुलतावादी समाज है; हमें हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखना होगा।

तथापि, जाने माने निर्माता – न केवल जाने माने अपितु भारत में उत्कृष्ट निर्माता, श्री यश चोपड़ा ने तुरंत उन पंक्तियों को बदलने और उन्हें सही करने का निदेश दिया था। यह सूचना सूचना मंत्रालय के सचिव ने प्रातः तड़के एकत्र करके मुझे दी है। उसके बाद भी यदि उसमें ऐसा कुछ है तो समीक्षा करने की गुंजाइश है।

परंतु मैं आपको केवल यह बता सकता हूं कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है और हम भी उसे पसंद नहीं करते हैं अतएव यह स्वभाविक है कि संबंधित समीक्षा समिति द्वारा इस प्रकार की सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। परंतु आपकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि निर्माण करना और सेंसर करना केन्द्र सरकार का तथा उसका कार्यान्वयन करना राज्य सरकार का कार्य है। यदि राज्य सरकार को कुछ गलत लगता है तो वे इस पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। परंतु जब तक वैसी ही स्थिति न हो, तब तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाना एक दुष्कर कार्य है।

यहां चूंकि स्वयं निर्माता ने स्वीकार कर लिया है कि यह गलत है और वह इसमें पहले ही परिवर्तन कर चुका है तो मुझे नहीं लगता कि यह मामला पुनः उठेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। हमें भी इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि इसका उत्तर दिया गया है। जब कभी भी विरोध किया गया है तो इसका उत्तर दिया गया है और उसमें सुधार किया गया है। यह अच्छी बात है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुमन महतो। यह उनका प्रथम भाषण है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमन महतो (जमशेदपुर) : महोदय, झारखंड राज्य की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में विद्युत आपूर्ति की स्थिति काफी खराब होने के कारण वहां के लघु उद्योगों में उत्पादन घट गया है। मझौले और बड़े उद्योगपति भी काफी परेशान हैं, बच्चों की पढ़ाई में काफी असुविधा हो गई है, तथा अंधकार के कारण चोरी–डकैती में काफी इजाफा हो गया है। सदन के माध्यम से मैं मांग करती हूं कि औद्योगिक नगर जमशेदपुर में विद्युत आपूर्ति में सुधार कराया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने मुद्दे को सही ढंग से उठाया, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री शैलेन्द्र कुमार। मैंने अध्यक्षपीठ से उद्धृत किया है कि आज विश्व एड्स दिवस है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सर, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने चेयर पर बैठते ही कहा कि आज विश्व एड्स दिवस है, तो मैं इसमें सदन को कुछ सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, ज्यादातर पूरे विश्व में इसके शिकार नवयुवक हो रहे हैं। इस समय पूरे विश्व में पांच करोड़ लोग एड्स के शिकार हैं, दुनिया में 14000 लोग प्रतिदिन एड्स के शिकार हो रहे हैं। जहां तक भारत का मामला है, सरकारी आंकड़ा कहता है कि भारत में 25 लाख एड्स के रोगी हैं, लेकिन अन्य संगठन कहते हैं कि भारत में 55 लाख एड्स के रोगी हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां हम बैठे हैं, यहां पर 36 हजार रोगी हैं जिनमें से 2900 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। समाचार–पत्रों में आया कि हमारी सीमा पर जो फौजी तैनात हैं वे भी एड्स के शिकार हो रहे हैं और करीब 300–400 के आंकड़े उसमें दिये गए हैं। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे रोगी हैं, उनको गोपनीयता तथा सामाजिक सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। भारत में 10 हजार के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहां मरीज लाखों की तादाद में हैं और 2.5 करोड़ लोग वर्ष 1981 से अब तक जान गंवा बैठे हैं। इसकी दवा इतनी महंगी है कि आम गरीब आदमी इसकी दवा नहीं कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय, वह या तो भुखमरी का शिकार होगा या गरीबी की चपेट में आ जाता है। मैं सरकार से चाहता हूं कि इसकी जांच–पड़ताल ग्रामीण स्तर से लेकर जहां भी यह बीमारी फैल रही है, वहां कराई जाए। यह कहा गया है कि अब तक 5 हजार जांच केन्द्र खोले जाएंगे और निजी क्षेत्र में 10 हजार जांच इकाइयां खोली जाएंगी। सरकार इस दिशा में बिल लाने वाली है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि अगला जो बजट सत्र आए, उसमें एड्स बीमारी से संबंधित बिल लाए, ताकि एचआईवी पोजिटिव रोगियों को सुविधा मिल सके।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेन्थन (पलानी) : महोदय, नए आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में करीबन 2.47 मिलियन लोग एड्स से प्रभावित हैं जो देश की कुल जनसंख्या का 0.36 प्रतिशत है।

महोदय, विगत दो वर्षों में विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में एचआईवी से प्रभावित महिलाओं और लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। केवल दिल्ली ही में 2004 में इनकी संख्या 995 थी और जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार, इनकी संख्या 2592 थी। युवाओं में, एचआईवी से प्रभावित व्यक्तियों में से 75% महिलाएं हैं। एचआईवी/एड्स से प्रभावित अधिकांश महिलाएं अपने जीवन की युवावस्था में हैं। प्रायः एचआईवी पीड़ित महिलाएं जो कि उनके पतियों द्वार छोड़ दी जाती हैं, अपने समुदाय से तिरस्कृत करके निकाल दी जाती हैं। वे विधवा महिलाएं जो एच आई वी के कारण अपने पति को खो चुकी हैं उन्हें अपने पति की संपत्ति में हिस्सा देने से इंकार कर दिया जाता है। एच आई वी ग्रस्त बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूलों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।

अतएव, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि एचआईवी/एड्स प्रभावित सारे क्षेत्रों में एचआईवी/एड्स प्रभावित महिलाओं, युवा लड़कियों और बच्चों को मेडिकल उपचार कराने, संपत्ति का अधिकार दिलाने में सहायता करने, भरण–पोषण दिलाने, रोजगार पाने में सहायता करने, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को मौद्रिक लाभ देने और उनके बच्चों को पढ़ाने जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से महिला वकीलों की सहभागिता से स्थायी विधिक सहायता केन्द्रों की स्थापना के लिए तुरंत उपाय करें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में गन्ना किसानों की हालत बहुत खराब है। गन्ने का पेराई सत्र अक्टूबर से शुरू हो जाता है, लेकिन अब तक पेराई का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। गन्ने का मूल्य 125–130 रुपए प्रति क्विंटल सुनिश्चित हुआ था, लेकिन 50 रुपए प्रति क्विंटल पर भी मिल मालिक गन्ने को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आज स्थिति यह है कि किसान खेत उजाड़ रहा है, वह परेशान है। 80 फीसदी गन्ना किसान वे हैं, जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया था। गन्ने की फसल बोने के बाद जब किसान फसल की कटाई

करता है, तो उसके बाद पेराई सत्र शुरू हो जाता है। इसी जमीन पर वह गेहूं की फसल पैदा करता है। चीनी मिल मालिक गन्ना नहीं ले रहे हैं, उसका परिणाम यह हो रहा है कि एक तरफ किसान को कर्ज न चुकाने की वजह से बैंक से नोटिस आ रहा हैं और दूसरी तरफ गन्ना न उठने के कारण जमीन खाली नहीं हो रही है और जमीन खाली न होने की वजह से किसान गेहूं बो नहीं सकता है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं आपके मारफत बताना चाहूंगा कि अभी भारत के कृषि मंत्री श्री शरद पवार का बयान अखबार में छपा था

[अनुवाद]

"जल्द ही चीनी मिलों को 12% राजसहायता दी जायेगी। किसानों को केवल 5% ब्याज राज सहायता प्राप्त होगी, परंतु यदि खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय अपना कार्य करता रहा है, तो जल्द ही चीनी मिलों को 12% राजसहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, जहां सरकार एक तरफ चीनी मिल–मालिकों के संरक्षण की बात कह रही है, वहीं प्राथमिकता के आधार पर सरकार को गन्ना किसानों के हालात पर गौर करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत निवेदन करना चाहूंगा कि अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 2 हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों का सरकार पर बकाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले वायदा किया था कि 31 अगस्त तक गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद फिर कहा गया कि 15 नवम्बर तक गन्ना किसानों को बकाया का भुगतान कर देंगे, लेकिन इस बार भी भुगतान नहीं हुआ। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। भारत सरकार को तत्काल इस विषय में हस्तक्षेप करना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका गन्ना उत्पादक किसानों का इलाका है। यही उनकी रोजी–रोटी का जरिया है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हो रहे हैं, वे बहुत भयावह हैं। जहां तक एक ओर कृषि के संरक्षण की बात कहते हैं, अधिक उत्पादन की बात कहते हैं, लेकिन जिस तरह की हमारी नीतियां हैं, उनसे बहुत खतरनाक परिणाम सामने आने वाले हैं। क्या भारत सरकार इस पर निश्चित रूप से गौर करेगी? मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क करके, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान अतिशीघ्र कैसे हो सकता है, उस पर विचार करे।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : महोदय, मैं उनसे सम्बद्ध होना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सुमन जी ने सवाल किया कि पूरे देश में गन्ना किसानों का एक समान मूल्य केन्द्र सरकार ने घोषित नहीं किया है। भिन्न–भिन्न राज्यों में भिन्न–भिन्न तरह से रिकवरी के आधार पर गन्ने का रूप देने का काम भारत सरकार ने किया है जो किसान हित के विरोध में है। आज उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक किसानों को बकाये का भुगतान नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय में मुकद्मा किया गया था। गन्ना किसानों के गन्ने का मूल्य पहले 125 और 130 रुपए प्रति क्विंटल था, उसे अब 110 रुपए कर दिया है। इससे दो तरह की स्थिति पैदा हो गई है। जो सरकारी चीनी मिलें हैं, वे अभी 125 और 130 रुपए देने को तैयार नहीं हैं और निजी चीनी मिलें 110 रुपए देने के लिए तैयार हैं। इस सवाल को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान अपने गन्ने के अधिकार को लेने के लिए मूल्य के सवाल पर आन्दोलनरत हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि गन्ना किसानों के मूल्य का रूप एक समान निर्धारित किया जाए और उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के साथ प्रदेश सरकार द्वारा जो भेदभाव किया गया है, उसे दूर करें, पिछले गत वर्ष गन्ने का मूल्य 125 और 130 रुपए था, उसी तरह से भुगतान कराए और किसानों का जो बकाया है, उसे दिलाने का जोर से दबाव डाल कर प्रयास करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व के तात्कालिक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सच्चर समिति की रिपोर्ट आने के बाद केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया था कि जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग की अनुशंसा आने के बाद उसका अनुपालन किया जाएगा। 6 माह हो गए हैं। 21 मई, 2007 को यह रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई, हस्तगत कर दी गई। दलित मुस्लिम तथा दलित क्रिश्चियन के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक हालत का अध्ययन कर जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग ने उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कतिपय अनुशंसा कर दी है। सरकार ने रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि रंगनाथ मिश्र आयोग की अनुशंसा को अभी तक सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही सरकार ने कोई कार्य योजना उसके अनुपालन के लिए बनाई है। कैबिनेट ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों को शामिल नहीं किया जा रहा है या नहीं? दलित मुस्लिम तथा दलित क्रिश्चियन सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणित दृष्टिकोण से काफी पिछड़े हैं। उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने तथा ऊपर उठाने की जरूरत है तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। दौलत पैदा करने वाले जो लोग हैं, जब तक दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन को एससी का दर्जा नहीं दिया

जाएगा तब तक वे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाएंगे। मैं मांग करता हूं कि सदन में रंगनाथ मिश्र आयोग की अनुशंसा को तुरन्त प्रस्तुत किया जाए और सरकार कोई कार्य योजना बना कर आगे की कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

मो. सलीम (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं उनके साथ सम्बद्ध होता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आज मैं बहुत उदार हूं। हालांकि आपने सूचना नहीं दी है तथापि मैं आपको सम्बद्ध होने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मैं भी एसोसिएट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप सब मेहरबानी करके एक स्लिप भेज दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आयोग बनता है लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी, आपने मुद्दा उठाया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, श्री गणेश प्रसाद सिंह और श्री विजयकृष्ण इसमें एसोसिएट करते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसके साथ एसोसिएट करना चाहता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिसएसोसिएट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फ्रांसिस जॉर्ज की कही गई बातों के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज आप सब ने इतने अच्छे–अच्छे मुद्दे उठाए हैं, अब ऐसे क्यों कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज (इदुक्की) : महोदय, हमारे देश में कोको का उत्पादन मुख्यतः दक्षिणी राज्यों विशेषकर केरल में होता है। भारत में होने वाले कोको का 60 प्रतिशत उत्पादन केरल राज्य में होता है, जिसमें से 60% का उत्पादन इदुक्की जिले में होता है जो कि मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी कोको का उत्पादन बढ़ रहा है। परंतु मौजूदा उत्पादन हमारी आवश्यकता में केवल 60% भाग की ही पूर्ति कर रहा है। उत्पादन की वृद्धि दर केवल 2% है जबकि खपत की वृद्धि दर 15 प्रतिशत है। भारत में भी कोको की भारी मांग है और विश्व बाजार में भी चाकलेट और कनफैक्शनरी उद्योग में इसकी भारी मांग है। परंतु हमारे कृषकों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्हें गीले दानों के लिए केवल 20 रुपए प्रति किलो की कीमत मिल रही है जबकि उन्हें कम से कम 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ है" क्योंकि खाद, स्प्रे और अन्य आगतों की दरें कई गुणा बढ़ गई हैं परंतु किसानों को अपने उत्पादों की उचित कीमतें नहीं मिल पा रही हैं। आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए घाना और आयवरी कॉस्ट जैसे राष्ट्रों से केवल 35% के आयात शुल्क पर भारी पैमाने पर आयात भी किया जा रहा है।

अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अधिकाधिक कृषकों को कोको का उत्पादन करने और उसे उगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार की वित्तीय सहायता की शर्तें भी उदार होनी चाहिए और आयात शुल्क बढ़ा देना चाहिए ताकि कृषकों को उचित मूल्य मिल सके और अधिकाधिक कृषक कोको का उत्पादन और खेती करें। उससे हमारी आंतरिक आवश्यकता पूरी होगी और देश से निर्यात भी किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हर मामले को तत्कालिक मानकर नोटिस दिए जा रहे हैं। इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। इसके लिए नियम 377 की प्रक्रिया है जो बेहतर है। परंतु आप अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे के साथ–साथ हर मुद्दे को उठा रहे हैं। ये केवल अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों से संबंधित हैं। कृपया इस पर विचार करें। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि स्पष्ट कारणों से आज मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं, परंतु भविष्य में इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम) : महोदय, त्रिचूर केरल की सांस्कृतिक राजधानी है। त्रिचूर आकाशवाणी का समृद्ध इतिहास रहा है और यह लोकहित और जागरूकता के कई कार्यक्रमों का प्रसारण कर चुका है और केरल के श्रोताओं के मन में घर कर चुका है।

बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के वहां उपलब्ध अवसंरचना का उपयोग करके हम एफ एम इकाई प्रारंभ कर सकते हैं।

यह बेहद खेद का विषय है कि सरकार ने त्रिचूर रेडियो स्टेशन की संभावनाओं को दरकिनार करके कई निजी एफ एम रेडियो स्टेशनों को प्रसारण अधिकार दे दिए हैं। महोदय, त्रिचूर के लोगों को पिछले कई

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

वर्षों से उनकी उपेक्षा के कारण असन्तोष व्याप्त है क्योंकि हम वहां एफ. एम. रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए ज्ञापन देते आ रहे हैं। सरकार हमारे ज्ञापन की निरंतर उपेक्षा करती रही है।

अतएव, मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और ऐसे उपाय करे ताकि त्रिचूर में एफ. एम. स्टेशन प्रारंभ किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : एफ. एम. स्टेशन हल्के गीतों के लिए है। क्या ऐसा नहीं है? अतएव, आप हल्के गीत चाहते हैं? अब श्री हंसराज अहीर बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने साढ़े नौ बजे के पहले नोटिस नहीं दिया।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : मैं अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने जा रहा हूं। देश में भारी मात्रा में पेट्रोल आयात किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर नोटिस दिया है। वह एक बहुत गंभीर और नियमों का पालन करने वाले सदस्य हैं।

[हिन्दी]

वे चेयर की बात सुनते हैं, आपकी तरह नहीं हैं।

श्री हंसराज गं. अहीर : पेट्रोल आयात की वजह से देश में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो पेट्रोलय आयात करने जा रहे हैं, कुछ परिमाण में पर्याय के रूप में इथनॉल मिश्रित करें क्योंकि कुछ कृषि उपज गन्ने के मामले में विषय निकले थे, अगर हम इथनॉल पेट्रोल में मिलाकर बेचने के लिए सख्ती करें तब गन्ना उत्पादक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि हमने पांच प्रतिशत इथनॉल मिश्रित करने की अनुमति दी है लेकिन अनुमति देने के बावजूद भी तेल कंपनियां उसे मिश्रित नहीं कर रही हैं।

15 तारीख के रिप्लाई में प्रश्न क्रमांक 17 में मंत्री जी ने कहा है कि सरकार द्वारा पांच प्रतिशत ई.पी.बी. कार्यक्रम को अनिवार्य बनाया जाए, इसके लिए प्रस्ताव किया जा रहा है और उसे 10 प्रतिशत इथनोल मिश्रण वैकल्पिक किया जा रहा है। सरकार इस बारे में सिर्फ कहती है, लेकिन सख्ती से कानून नहीं बना रही है। इस वजह से तेल कंपनियां इथनोल मिश्रित करके पैट्रोल नहीं बेच रही हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मिश्रण की वजह से गन्ना उत्पादक किसानों को चीनी मिलें वक्त पर पेमेन्ट करेंगी, क्योंकि अभी यहां कहा जा रहा था कि चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को पेमेंट नहीं किया जा रहा है। इस तरह से उन्हें वक्त पर अच्छा दाम मिलेगा। क्योंकि आज कई चीनी मिलें बंद होने के कगार पर हैं, इस तरह से चीनी मिलें बंद नहीं होगी और वे भी सही तरीके से चलेंगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही विनती कर रहा हूं कि वह पैट्रोल में इथनोल मिश्रित करने का बाध्यकारी कानून बनाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, आप बोलिए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं निराश हो गया था, मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : रनिंग कमेन्टरी हैबिट हो गई है। ठीक है, आप अपने मैटर पर बोलिए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते हैं, हंसते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है और हम ही तो आपके एक बालक हैं जो आपके आदेशानुसार सब काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सब लोग सुनकर हंसते हैं।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। हमारे यहां गरीबी, फटेहाली और बेरोजगारी बहुत अधिक है और इसके लिए सरकार ने एक पापुलर स्कीम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना चलाई और पूरे देश के पैमाने पर उसे लागू करने का काम किया। ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और लोग अपनी गरीबी को दूर करने का काम कर सकें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार राज्य की तरफ आकृष्ट करता हूं। वहां बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत दी गई राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके पहले भी हमने कई दफा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। मैं केन्द्र सरकार का ध्यान पूरे बिहार सहित अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र फुलवारी शरीफ के अंतर्गत आता है। आज वहां धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं। वहां पर लोगों का लाखों रुपए बकाया हैं, अपने किए गए काम के एवज में लोगों को पैसा नहीं मिला है। इसलिए लोग वहां पर धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य समाचार पत्रों में यह खबर छपी है, फाल्स जॉब कॉर्ड के नाम पर वहां भुगतान किया जा रहा है। इससे वहां के मजदूरों में बहुत आक्रोश है। वह बहुत गरीब इलाका है। वैसे तो पूरा बिहार ही गरीब है। लेकिन मेरे क्षेत्र फुलवारी शरीफ विधान सभा क्षेत्र के चार-पांच ऐसे गांव हैं, जिनकी ऑथन्टिक चर्चा मैं यहां पर देना चाहता हूं, ताकि माननीय मंत्री जी को जांच करने में कोई दिक्कत न हो। इन गांवों के नाम इस प्रकार हैं – सकरेचा, सुइथा,

सोरंगपुर, कोरियावा, परसा और भूसोला दानापुर। इन सारी पंचायतों में भारी पैमाने पर अनियमितता बरती गई है और मजदूरों से काम लेकर उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहां पर फाल्स जाब कार्ड के सहारे काम कराया जा रहा है। इस तरह से वहां केन्द्र सरकार की रोजगार गारंटी योजना की मूल भावना पर आघात पहुंचाया जा रहा है। यह इतनी पापुलर स्कीम है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तत्काल आप हस्तक्षेप करें, वहां उपरोक्त योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस योजना को सरजमीं पर उतारने का काम नहीं किया जा रहा है। वहां के जेनुइन मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण वहां बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार वहां तुरंत हस्तक्षेप करें और जिन मजदूरों ने वहां काम किया है, उनका भुगतान करायें, ताकि लोगों को न्याय मिले। बिहार के इलाकों में सही तरीके से यह योजना सरजमीं पर उतरे, सरकार की जो मूल भावना है कि वे बेरोजगारों को रोजगार मिले, वह काम पूरा हो। आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहार में बहुत गरीबी है। मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामीण विकास मंत्री जी को वहां तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके और रोजगार गारंटी योजना का लाभ आपकी गाइडलाइंस के अनुसार लोगों को दिया जा सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव जी, आपका सेफ ग्रेन कैम्पेन ऑफिस वाला मामला क्या सैन्ट्रल गवर्नमैंट का है?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : हां, यह सैन्ट्रल गवर्नमैंट का है।

अध्यक्ष महोदय : यह सेफ ग्रेन कैम्पेन से संबंधित है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष जी, मैं अन्न सुरक्षा अभियान के नाते बात कर रहा हूं। मुझे नोटिस मिला है।

अध्यक्ष महोदय : हम देख लेते हैं कि आपका कौन सा नोटिस आया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बीच इस पर विचार कर लें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। केन्द्रीय सरकार का कार्यालय है। जयपुर शहर में कार्यरत है। इस कार्यालय को पूना, लखनऊ और कानपुर में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या ये सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जी हां। आपका मुझे संरक्षण चाहिए वर्ना ये सारे कार्यालय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको जयपुर से तो कोई हटा नहीं सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, यदि जयपुर शहर से इन कार्यालयों को उठाकर दूसरी जगह ले जाएंगे तो जयपुर का विकास बिल्कुल जर्जर हो जाएगा। ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अन्न सुरक्षा अभियान कार्यालय जयपुर भारत सरकार के उपभोक्त खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नई दिल्ली के अधीन 1976 से राजस्थान राज्य के 32 जिलों के विभिन्न गांवों में किसान स्तर पर किसानों को अनाज भंडारण करने का वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना उन्हें अनाज भंडारण के लिए धातु की टंकियां उपलब्ध कराना, उन्हें ईंट, सीमेंट की पक्की कोठियों का निर्माण करना, कृषि विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, राशन की दुकानों का निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अनाज के सैम्पलों का विश्लेषण कर रिपोर्ट मुख्यालय भिजवाना है। इसके साथ ही कार्यालय का स्वयं का भवन है, वाहन, प्रदर्शन करते रहते हैं, प्रचार सामग्री तथा करोड़ों रुपए के उपकरण प्रयोगशाला से संबंधित है। इस कार्यालय से प्रदेश की जनता को काफी लाभ हो रहा है। इस कार्यालय को पूना, भुवनेश्वर, भोपाल और लखनऊ में कार्यालय खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया है। जयपुर शहर का कार्यालय चला जाएगा, इसमें कर्मचारी दुखी हो जाएंगे।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस महत्वपूर्ण कार्यालय को जयपुर स्थित कार्यालय से अन्य कहीं स्थानांतरित नहीं किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए वर्ना भारत सरकार मेरे जयपुर शहर को बर्बाद करने पर लगी हुई है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार मेरी बर्बादी न करे, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय : आप होने नहीं देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सी.के. चन्द्रप्पन – अनुपस्थित।

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह हमारे परभनी में 1975 से रेलवे नई सर्विस का ऑटा स्ट्रीट है, उससे संलग्न 45 पोस्ट ऑफिसेज हैं और 350 ब्रांच ऑफिसेज हैं। वर्ष 1975 से आज तक यह कार्यालय वहां काम कर रहा है लेकिन आज कोई अधिकारी ये कार्यालय औरंगाबाद या नांदेड़ में शिफ्ट करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इस प्रक्रिया का

विरोध परभनी और मराठवाड़ा की जनता की ओर से हो रहा है। मैंने भी बहुत बार माननीय मंत्री जी को और अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर इस कार्यालय को स्थानांतरित न करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है तो भी यह कार्यालय को स्थानांतरित करने की जो कार्यवाही चालू है, वह बंद नहीं हुई है। अगर यह कार्यालय यहां जिले से बंद हो जाएगा तो कोरियर सर्विस को बढ़ाव मिलेगा और कोरियर सर्विस को बढ़ावा मिलने की वजह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट का राजस्व कम हो रहा है। इसलिए मैंने पहले भी माननीय मंत्री महोदय को पोस्टल एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए प्रश्न रखा था। उसमें अमेंडमेंट करने के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा था लेकिन अभी तक वह अमेंडमेंट भी नहीं आया और जो पोस्टल की सेवा है, अगर ऐसे ही कम रही तो प्राइवेट कोरियर को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसलिए माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारा जो परभनी का रेलवे पोस्ट ऑफिस है, उसे वहीं रहने दीजिए, उसे कहीं स्थानांतरित नहीं कीजिए। यही मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है। धन्यवाद।

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र उत्तरांचल की सीमा से लगा हुआ लोक सभा क्षेत्र है। उसमें उत्तरांचल का भी वन्य क्षेत्र है और जि़ा बिजनौर का भी वन्य क्षेत्र है। एक जंगली हाथी द्वारा अब तक लगभग सात किसानों की हत्या कर दी गई है। अभी-अभी मुझे सूचना मिली है कि परसों की रात में भी वहां एक हत्या हुई है। परसों रात में भी एक हाथी आया। क्षेत्र की तमाम जनता में आक्रोश है। वे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक सरकार की ओर से मरने वालों के मुआवजे की राशि की घोषणा नहीं हुई है और न हाथी को और हत्या करने से रोकने के लिए कोई योजना बनी है। मेरे संसदीय क्षेत्र के नजीबाबाद और कोतवाली विकास खंड़ों में जिन किसानों की हत्या हुई है, उन्हें सरकार 5-5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दे। जो किसान खेत में छोटे-छोटे डेरा बनाकर रहते हैं, उन्हें हाथी चुन-चुनकर हत्या करने में लगा हुआ है। मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार हाथी को हत्या करने से रोकने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती अर्चना नायक, असंगठित क्षेत्र पर एक विधेयक पहले ही स्थायी समिति के पास भेजा जा चुका है। अतएव मैं आपको इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि इसे पहले ही उठाया जा चुका है।

[हिन्दी]

रासा सिंह जी, अगर आप यह मामला रूल 377 के अंडर उठायें तो अच्छा होगा।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष जी, यह केन्द्रीय विषय है।

अध्यक्ष महोदय : यह केन्द्रीय विषय है।

[अनुवाद]

चूंकि यह केन्द्र से संबंधित है, अतः यह बहुत अधिक तात्कालिक नहीं है। अगले सप्ताह से मैं इन मुद्दों को सख्ती से लूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, अजमेर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं शैक्षिक दृष्टि से देश में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह नगर राजस्थान के बीचों-बीच स्थिति है जहां राज्य के किसी भी भाग से सरलतापूर्वक पहुंचा जा सकता है। यहां के शिक्षण संस्थानों में देश के कोने-कोने से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। यहां का राजकीय महाविद्यालय राजस्थान का सबसे बड़ा व पुराना कालेज है। 1956 तक अजमेर एक केन्द्र शासित प्रदेश था। अजमेर में सभी धर्मों को मानने वाले सभी वर्गों तथा विविध भाषा-भाषी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते आये हैं। राजस्थान में जब कई देसी रियासतें थीं, उस समय भी अजमेर को ही स्वाधीनता संग्राम का केन्द्र बनाकर आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद आदि कई महान देशभक्तों ने अजमेर में आकर पूरे राजपूताना के लिए आजादी की अलख जगाई थी। अतः स्वाभाविक है कि अजमेर के गौरव को अक्षुण्ण रखा जाये।

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सब से बड़ा भौगोलिक विषमताओं वाला शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा सीमावर्ती राज्य है। राजस्थान में अभी तक कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। कुछ समय पूर्व भारत सरकार ने राजस्थान में भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निश्चय किया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए देशभर में अपनी शैक्षिक प्रतिष्ठा के लिए विख्यात अजमेर नगर ही सर्वाधिक उपयुक्त है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं राजस्थान के बीचों-बीच स्थित अजमेर नगर में ही की जाये जिससे अजमेर की गौरव गरिमा स्वतंत्र भारत में भी बरकरार रहे।

सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007

अपराह्न 12.33 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में मद सं. 10, सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007 पर चर्चा होगी। माननीय सदस्य कृपया प्रारंभ करें।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं –

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संघ के सशस्त्र बल के गठन और विनियमन तथा उनसे संबंधित विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

विशेष सेवा ब्यूरो जो अब सशस्त्र सीमा बल है; का गठन चीनी आक्रमण की पृष्ठभूमि में मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन 1963 में किया गया था। इस संगठन ने प्रारंभ में उत्तर–पूर्व सीमान्त क्षेत्र, उत्तरी असम, उत्तरी बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किया। तत्पश्चात् 1965 से 1991 के बीच इसके कार्य का विस्तार मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, दक्षिणी बंगाल, नागालैण्ड और जम्मू तथा कश्मीर के कुछ क्षेत्रों तक हो गया।

एस एस बी प्रारंभ में 'अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका' निभाती थी जिसमें गैर वर्दीधारी एरिया स्कंध को व्यवस्था करने, आयोजना और कार्य निष्पादन के कार्य सौंपे गए थे और वर्दीधारी स्कंध को इसके लिए प्रशासनिक कार्य और सम्भार तंत्र का कार्य सौंपा गया था।

15 जनवरी, 2001 को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के अनुसरण में एसएसबी का नियंत्रण गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया था। गृह मंत्रालय ने एस एस बी को भारत–नेपाल सीमा पर फैले 1,751 कि.मी. से भी बड़े सीमा क्षेत्र की निगरानी का कार्य सौंप दिया।

12 मार्च, 2004 को मंत्रालय ने एस एस बी को 699 कि.मी. क्षेत्र में फैले भारत–भूटान सीमा की निगरानी करने का कार्य सौंप दिया। एस एस बी बार्डर पर पुलिस तैनात करके इन उद्देश्यों की पूर्ति सशस्त्र लड़ाकू स्कंध के माध्यम से करना चाहती है जिसे 41 बटालियनों में पुनर्गठित किया गया है।

समय बीतने के साथ–साथ सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) की संगठनात्मक संरचना, उत्तरदायित्वों और भूमिका के दायरे में काफी परिवर्तन हुआ है। बल के आकार और दायित्व दोनों में विस्तार हुआ है। इस समय, एस एस बी भारत–नेपाल तथा भारत–भूटान सीमाओं पर अपने सशस्त्र लड़ाकू स्कंध के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ निगरानी कर रहा है:–

1. सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना।
2. सीमा–पार से होने वाले अपराधों को रोकना और भारत की प्रादेशिक सीमा से प्रवेश करना या इससे बाहर जाने से रोकना।
3. तस्करी और अन्य गैर–कानूनी गतिविधियों को रोकना।

1963 में प्रादुर्भाव होने से अब तक एस एस बी की संगठनात्मक संरचना और उत्तरदायित्वों के दायरे में गुणात्मक परिवर्तन आ गया है। भारत–नेपाल और भारत–भूटान सीमाओं पर सीमा प्रहरी बल (बी जी एफ) के रूप में एस एस बी को सौंपी गई ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार के अन्य सीमा प्रहरी बलों विशेषकर भारत–तिब्बत बार्डर पुलिस बल (आई टी बी पी एफ) अधिनियम जो कि निम्नलिखित घटकों के अनुसार किसी सीमा प्रहरी बल का नवीनतम अधिनियम है, के अनुरूप सशस्त्र सीमा बल अधिनियम नामक एक व्यापक विधान का अधिनियमन करना निम्नलिखित कारकों से आवश्यक हो गया है:–

1. संगठन/बल को वैधानिक सहयोग देने और इसे अन्य सीमा प्रहरी बलों के अनुरूप पृथक और स्वतंत्र पहचान देना;
2. एस एस बी कार्मिकों पर सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के उपबंधों की विस्तारित चुनिंदा प्रयोज्यता की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करना और एस एस बी के लिए पृथक व्यापक विधान बनाकर एकरूपता लाना;
3. सीमा प्रहरी बल के रूप में इसके संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बलों की प्रभावी प्रक्रियात्मक दक्षता और प्रबंधन के लिए अधीक्षण, मार्गदर्शन और नियंत्रण को मजबूती प्रदान करना; और
4. संसक्तिशील संगठनात्मक ढांचे को तैयार करने और अनुशासन एवं निष्पादन के मामलों में नियम, प्रविधियां और प्रक्रियाएं मुहैया कराने के लिए मार्ग प्रशस्त करना।

प्रस्तावित विधान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं:–

1. संघ के आर्म्ड फोर्स के रूप में सशस्त्र सीमा बल का गठन करना जिसमें सेना के कार्मिकों के नियंत्रण, निर्देश और उनकी सेवा–शर्तों के प्रावधान हों।
2. सेना (फोर्स) के गठन और इसके सदस्यों की सेवा–शर्तों तथा एसएसबी के महानिदेशक की शक्तियों से संबंधित ब्यौरा अध्याय–दो (खंड 4 से 15) में शामिल किया गया है।)
3. सेना (फोर्स) में नियुक्त किये गये सभी कार्मिकों (चाहे वे प्रतिनियुक्ति पर हों अथवा किसी अन्य कारण से) को प्रस्तावित विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाना, नामतः–

   (एक) अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी; और

   (दो) इस प्रकार भर्ती किए गए अवर–अधिकारी और अन्य कार्मिक।
4. एसएसबी सेना न्यायालयों (फोर्स कोर्ट) का गठन और शक्तियों का प्रावधान तथा इस संबंध में अपनायी गई प्रक्रियाओं और

[श्री शिवराज वि. पाटील]

प्रविष्टियों तथा दिए जा सकने वाली शक्तियों का प्रस्तावित विधान अध्याय–तीन और चार (खंड 16 से 60) और अध्याय सात से नौ (खंड 76 से 132) में अंतर्विष्ट है। कतिपय गंभीर अपराधों के लिए मृत्यु दंड निर्धारित किया गया है (खंड 16 और 17)

इस विधेयक के 11 अध्यायों में से, अध्याय–2 सेना (फोर्स) के गठन तथा सेना (फोर्स) के सदस्यों की सेवा-शर्तों से संबंधित है। अध्याय–3 और 4 अपराधों और शक्तियों से संबंधित है। इस अधिनियम के अध्यधीन अध्याय–5 सदस्यों के वेतन और भत्तों से की जाने वाली कटौतियों से संबंधित है। अध्याय–6 इस अधिनियम के अध्यधीन व्यक्तियों पर चलने वाले मुकद्में से पूर्व उनकी गिरफ्तारी और कार्यवाही से संबंधित है। अध्याय 7, 8 और 9 फोर्स कोर्ट, फोर्स कोर्ट की कार्यवाही एवं फोर्स उसकी पुष्टि तथा फोर्स कोर्ट की कार्यवाहियों में संशोधन से संबंधित है। अध्याय–10 सजायें देने, क्षमादान देने और माफी इत्यादि के बारे में है और अध्याय–11 शक्तियों एवं कर्त्तव्यों, सेना (फोर्स) के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले कृत्यों की सुरक्षा के बारे में है।

इस अधिनियम के प्रारम्भ से अस्तित्व में आने वाले सशस्त्र सीमा बल को इस अधिनियम के अंतर्गत गठित की गई सेना (फोर्स) माना जायेगा तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ से अस्तित्व में आने वाले सशस्त्र सीमा बल के सदस्यों को इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त अथवा भर्ती किया गया, जैसा भी मामला हो, माना जायेगा।

इसके अलावा, किसी नियुक्त किये गए अथवा भर्ती किये गए व्यक्ति जैसा भी मामला हो, के बारे में सशस्त्र सीमा बल के गठन के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किया गया कोई भी कार्य अथवा की गई कार्यवाही कानूनी रूप से इस प्रकार से विधिसम्मत और प्रभावी होगी जैसे कि वह कार्य अथवा कार्यवाही इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया अथवा की गई है। तथापि, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व कुछ भी किये गये कार्य अथवा न किये गये कार्य के संबंध में कुछ भी किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहरायेगा।

इस सेना (फोर्स) के प्रशासन के संबंध में किये जाने वाले सभी व्ययों की भरपाई 'भारत की संचित निधि' से की जायेगी। चूंकि सेना का गठन पहले ही किया जा चुका है, अतः इस विधेयक को अधिनियमित किये जाने और लागू किये जाने के समय अनावर्ती स्वरूप के किसी भी अतिरिक्त व्यय को शामिल किये जाने की संभावना नहीं है।

सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007 को राज्य सभा ने 28.11. 2007 को पारित कर दिया है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस माननीय सभा को इस विधेयक पर विचार करने और इसे अनुमोदित करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री तापिर गाव जी बोलें।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको अपनी सीट पसन्द नहीं है?

श्री तापिर गाव : महोदय, सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007 बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। किंतु मुझे इस विधेयक के बारे में कई प्रकार के विचार प्राप्त हुए हैं। मैं इस संबंध में उन विचारों पर प्रकाश डालता हूं।

अपराह्न 12.44 बजे

(श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए)*

महोदय, मैं एसएसबी की सेवाओं को नमन करता हूं। जैसे कि प्रारंभ में माननीय गृह मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि एस एस बी के इस संगठन को पूर्व में विशेष सेवा ब्यूरो कहा जाता था जिसका गठन 1963 में किया गया था और इसका ध्येय सीमा क्षेत्रों तथा एनईएफए–उत्तर पूर्व सीमान्त एजेंसी, जिसे 1962 के आक्रमण के पश्चात् आज अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, के नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। गर्व की बात है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग कह सकते हैं कि एसएसबी की सेवाओं के कारण ही वे अरुणाचल प्रदेश के सभी सबसे दूरवर्ती इलाकों में जय हिन्द का नारा लगाते हैं। उन दिनों में एसएसबी एक सुगठित संगठन था और नेफा (एनईएफए) में एसएसबी की भूमिका बहुत अद्वितीय थी और इसकी प्रमुख विशेषतायें मानवीय सहायता मुहैया कराना, एकता को बनाये रखना और राष्ट्र एवं लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था।

मैंने विधेयक का अध्ययन कर लिया है। किस्तम से, मैं गृह मंत्रालय संबंधी स्थाई समिति का सदस्य हूं। अतः, मैंने इस विधेयक को प्राप्त कर लिया है। अतः, मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1963 की एसएसबी की प्रारंभिक भूमिका सीमा के पास रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना था और तत्पश्चात्, इसमें बदलाव किया गया है। किंतु मुझे कुछ डर है। मैं माननीय मंत्री जी और भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए, पद्मनाभैया समिति द्वारा 1999 में की गई सिफारिशों का भी उल्लेख करना चाहता हूं।

मुझे डर है कि अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मैं वर्तमान एसएसबी की भूमिका की प्रमुख विशेषताओं के बारे में गृह मंत्री जी से उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं। प्रारंभिक स्तरों पर, एसएसबी की भूमिका सीमा के पास रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना और विरोध की भावना पैदा करना तथा शत्रु द्वारा आक्रमण किये जाने अथवा कब्जा किये जाने के दौरान "पर्दे के पीछे" की भूमिका निभाना और साथ ही सीमा के पास

रहने वाले लोगों में राष्ट्रीय जागरूकता और सुरक्षा के प्रति सजगता बढ़ाना, राष्ट्रीय एकल कार्यक्रम एवं कल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से सीमा क्षेत्रों में जन समर्थन जुटाना और मनोवैज्ञानिक प्रचालनों एवं जागरूकता अभियानों के जरिये शत्रु द्वारा किये जा रहे दुष्प्रचार का मुकाबला करना था। अब, जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने सही दिशा में संकेत किया है। मेरे विचार से अब यह तीन बातों तक सीमित है। वे बातें हैं – सीमा के समीप रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना; सीमापार अपराधों को रोकना और भारत से अथवा भारत से किये जाने वाले अनधिकृत प्रवेश को रोकना और सीमा पार तस्करी एवं अन्य किसी भी गैर–कानूनी गतिविधि को रोकना।

आज, मैं गर्व से कहता हूं और आप स्वयं भी यह देख सकते हैं कि आज, चीन के बार–बार अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र पर दावा किये जाने के बावजूद, एक भी अरुणाचलवासी इसका समर्थन नहीं करता। इस सबका कारण अरुणाचल प्रदेश में एसएसबी द्वारा चार दशकों से प्रदान की जा रही सेवायें ही हैं। अतः, मैं एसएसबी द्वारा की गई सेवाओं को नमन करता हूं। यही कारण है कि मैंने देश में एसएसबी की प्रारंभिक भूमिका पर प्रकाश डाला। वे ग्रामीणों को संगठित करके गांवों में स्वैच्छिक सेवा करने वाले लोग एकत्र करते हैं। इससे वे सीमा के समीप के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में भारतीयता की भावना पैदा करते हैं। हमने अपनी आंखों से ये देखा है। दूसरे, आप अपनी वर्दी के बूते सीमापार से खुफिया जानकारी हासिल नहीं कर सकते। उन दिनों में एसएसबी में कुछ गैर–वर्दीधारी कार्यकर्ता भी थे। मुझे आशा कि वर्तमान एसएसबी में भी सीमापार की खुफिया जानकारी हासिल करने हेतु गैर–वर्दीधारी कार्यकर्ता हैं। अतः, यह बहुत सुगठित थी। इस सेना में नेपाल और भूटान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने हेतु ताकत थी। मेरे विचार में, आज भूटान की सीमा आदि नेपाल की सीमा पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा से अधिक संवेदनशील है। सब प्रकार की अधिक घटनायें, उग्रवाद, गैर–कानूनी प्रवेश और भारत–विरोधी प्रचार नेपाल की सीमा से ही अंजाम दिया जाता है। अतः एसएसबी भविष्य में भी इसी प्रकार से कार्य करता रहे।

आज, एसएसबी हिमालय क्षेत्र में व्याप्त ऊंचे स्थानों और खतरनाक जगहों वाली नेपाल से लगती 1700 कि.मी. और भूटान से लगती 699 कि.मी. सीमा की रक्षा करता है। अतः, महोदय, हमें इसकी प्रारंभिक भूमिका को बनाये रखने की जरूरत है और इसे पद्मनाभैया समिति की सिफारिशों के आधार पर सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, पूर्व में एसएसबी की भूमिका पीछे रहकर रक्षा करने वाली थी, किन्तु अब उसे सीमा की सुरक्षा करने के लिए कहा गया है। अतः, इस तरह की सुविधायें एसएसबी को भी दी जायें जिसके लिए खुफिया एजेंसियों से बेहतर समन्वय करने की जरूरत है और मुख्य खुफिया एजेंसियों को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए।

मैंने विधेयक को पढ़ लिया है। माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक लाकर बिल्कुल ठीक ही किया है। और हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं और मुझे आशा है कि यह विधेयक सशस्त्र सेना अधिनियम के अंतर्गत आ जायेगा और यह एसएसबी में सेवारत सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए अच्छा है। विधेयक के खंड 7 में, यह बताया गया है कि उनका क्षेत्राधिकार मात्र देश तक ही सीमित नहीं होगा तथा सेना के प्रत्येक सदस्य देश के भीतर और देश से बाहर सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि एसएसबी कार्मिकों को देश के बाहर संयुक्त राष्ट्र में भेजा जाता है, तो आईटीबीपी, सीआरपीएफ आदि की तरह एसएसबी के नामकरण के अतिरिक्त, हम इस सेना का अंग्रेजी नामकरण कर सकते हैं जैसेः– सीमा सशस्त्र सेना अथवा सीमा पुलिस सेना, ताकि जब इसके कार्मिकों को भारत से बाहर भेजा जाये तो इसका विस्तृत स्तर पर अर्थ स्पष्ट हो।

महोदय, मुझे अर्धसैनिक बलों की आवास सुविधाओं की देखरेख करने हेतु एक सदस्य नियुक्त किया गया है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री तापिर गाव : महोदय, कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपकी पार्टी की तरफ से चार स्पीकर्स हैं, इसलिए थोड़ा शार्ट करें।

श्री तापिर गाव : जितना हो सकेगा, मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा।

[अनुवाद]

महोदय, अर्ध–सैनिक बलों में, मात्र 25 प्रतिशत कार्मिकों को ही आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई है, किंतु एसएसबी में, यह एक प्रतिशत से भी कम है। अतः, एसएसबी कार्मिकों के आवास संबंधी पहलू पर गंभीरता से विचार किया जाये। क्योंकि उन्हें दूरवर्ती, हिमालय क्षेत्रों में कार्य करना होता है और उन्हें अपने परिवार के सदस्यों जैसे – बूढ़े माता–पिता आदि की भी देखभाल करनी होगी । अतः, इस क्षेत्र पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए।

महोदय, अर्ध–सैनिक बलों को जहाज में आने–जाने की सुविधाएं दी गई हैं जैसे उनके महानिदेशकों को दी गई हैं और किसी प्रकार हताहत होने की स्थिति में उनके सैनिकों को राहत पहुंचाने हेतु दी जाती है। अब, एसएसबी नेपाल और भूटान सीमा पर हिमालय क्षेत्र में समुद्र तट से 10,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर 45 सैनिक केन्द्रों पर तैनात है। किसी प्रकार से हताहत होने वाली स्थिति में वे राहत कार्य नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अभी जहाज में आने–जाने की

[श्री तापिर गाव]

सुविधा नहीं है। नेपाल सीमा नक्सलवादियों की दहलीज है। अतः, इस सेना को शीघ्र तैनात करने और इसके बेहतर प्रचालन के लिए, एसएसबी को जहाज में आने-जाने की सुविधा दी जाये जैसे आज अर्द्ध-सैनिक बलों को दी गई है।

तब, इस सेना में भर्ती के संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुसार, उसमें 20 प्रतिशत लोगों की भर्ती रक्षक क्षेत्रों, और 70 प्रतिशत लोगों की उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों और शेष 60 प्रतिशत लोगों की भर्ती देश के शेष भाग से होनी चाहिए।

एसएसबी की प्रमुख विशेषता गैर-नागरिकों के पंजीकरण से भी संबंधित है। यह एक अच्छी सेवा है जो उन्होंने चार दशकों में राष्ट्र-निर्माण में की है। अतः, न केवल भर्ती होगी बल्कि उन्हें सीमा पार गैर-नागरिकों की भर्ती करने की अनुमति भी दी जाये ताकि उन्हें क्षेत्र के बाहर से भी काफी खुफिया जानकारी हासिल हो सके।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री तापिर गाव : महोदय, मेरे जीवन में पहली बार, अगर मैंने हथियार और गोला-बारूद उठाया हो तो यह मात्र एसएसबी के माध्यम से ही संभव हुआ। मैं भी उन दिनों एक स्वयंसेवक था और अपने जीवन में पहली बार मैंने एसएसबी शिविर में 303 बन्दूक चलाई थी। अतः, सीमा क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों हेतु इस संगठन की सामाजिक-उत्थान में भी बड़ी भूमिका है। इसी प्रकार की प्रारंभिक अवस्था होनी चाहिए।

अपराह्न 12.56 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

पद्मनाभैया समिति की सिफारिशें क्रियान्वित की जायें ताकि यह संगठन सीमाओं की रक्षा करने, हमें शत्रुओं से बचाने और सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु सामाजिक सेवा करने में काफी सेवायें प्रदान कर सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद) : महोदय, मैं तत्कालीन विशेष सेवा ब्यूरो, जिसका नाम अब सशस्त्र सीमा बल है, को विधिक और सांविधिक शक्ति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पुरःस्थापित सशस्त्र सीमा बल विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने अपने प्रस्तुतीकरण में सशस्त्र सीमा बल की पृष्ठभूमि के बारे में बताया है, यह एक ऐसा बल है जिसकी स्थापना मुख्य रूप से सहायक की भूमिका का निर्वाह करने के लिए वर्ष 1963 में की गई थी और अब 44 वर्षों के बाद इसको एक अलग भूमिका प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि इसकी बहुत लम्बे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी और यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे भारत-नेपाल सीमा की संवेदनशीलता का व्यक्तिगत रूप से ज्ञान है। इस सीमा की लम्बाई लगभग 1800 किलोमीटर है और यह खुली सीमा है और इसमें निर्बाध रूप से आवाजाही होती है। ऐसा वर्ष 1950 की भारत-नेपाल मैत्री संधि के उपबन्धों, जिनमें भारत-नेपाल मैत्री और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले और हमारी सदियों पुरानी साझी संस्कृति का संरक्षण करने वाले उपबन्ध विशेष रूप से शामिल किए गए थे, के कारण है।

लेकिन नेपाल के साथ मैत्री को बढ़ावा देने के इस ईमानदारी पूर्वक किए गए प्रयास का भारत के हितों के प्रति शत्रुता रखने वाली शक्तियों ने दुरुपयोग किया है और मैं इस बात को भी जानता हूं कि इतनी लम्बी सीमा पर पहरा देना बेहद कठिन है। परिणामस्वरूप, इस प्रकार की गतिविधियों को बिना कोई जांच या निगरानी के नेपाल से भारत और भारत से नेपाल में घुसना संभव है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है, जैसा कि मेरे प्रिय मित्र तापिर गाव ने कहा है, नेपाल के साथ यह सीमा हमारी पश्चिमी सीमा से भी अधिक संवेदनशील हो गई है। हमारी सीमा के इस पार बैठे हुए आतंकवादियों द्वारा जितनी भी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया है यह उन लोगों द्वारा किया गया है जिन्होंने इस सीमा के पार से भारत में प्रवेश किया है। अतः, इस सीमा की कारगर निगरानी की कोई न कोई व्यवस्था करना बेहद आवश्यक हो गया था। सशस्त्र सीमा बल, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सही कहा है, मूलतः, एक प्रकार की दोहरी भूमिका का निर्वाह करने के लिए बनाया गया था। यह थी गैर-वर्दीधारी सहायक संगठन की भूमिका और इसे सम्भारतंत्रीय सहायता इत्यादि वर्दीधारी बल द्वारा प्रदान की गई थी। मेरा आशय बल पर कोई आक्षेप लगाना नहीं है। यह बहुत अच्छा कार्य कर रहा था।

अपराह्न 1.00 बजे

लेकिन बात यह भी है कि किसी समय इस बल को बहुत अधिक स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं था कि इसे क्या करना है और क्या नहीं; क्या इसे वर्दीधारी बल के कर्त्तव्यों का निर्वहन करना है या गैर-वर्दीधारी का। तथापि, यह अतीत की बात हो गई है। एक समय था जब सशस्त्र सीमा बल को यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था कि इसे क्या कार्य करना है। इसके साथ ही सरकार के सामने नेपाल के साथ लगती खुली और निर्बाध आवाजाही वाली सीमा की निगरानी करने की समस्या थी। अतः, इस सीमा पर सशस्त्र सीमा बल को तैनात करने का समझ-बूझ भरा निर्णय लिया गया। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस तैनाती की जानकारी है। मैं इस बल के लोगों, जिनको इस सीमा के साथ-साथ तैनात किया गया था, से मिला। उनके पास इस सीमा की निगरानी के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। प्रशिक्षण का अभाव था और उनके पास

हथियारों की भी कमी थी। उनके पास अपने कर्त्तव्यों का कारगर ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक संभार तंत्र का अभाव था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनको अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। पहले, उनकी मनोवृत्ति थोड़ा भिन्न थी; और अब उनकी मनोवृत्ति सीमा रक्षक बल के समान होनी चाहिए। अतः, यह सुनिश्चित करना कि सशस्त्र सीमा बल द्वारा अपने नए अवतार में किए जाने वाले कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावपूर्ण होना चाहिए और इसलिए इसको विधिक संरक्षण भी मिलना चाहिए। उनके हित में एक समुचित कानून बनाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए नए विधेयक को पुरःस्थापित किया गया है। अतः, यह बिल्कुल सही समय पर आया है। मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

लेकिन महोदय, कुछ मामले हैं जिनपर मैं माननीय गृह मंत्री जी और सरकार द्वारा विचार किए जाने हेतु निवेदन करता हूं। अब तीन सीमा रक्षक बल हो जाएंगे। ये हैं – सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल। मुझे याद है कि कुछ समय पहले आन्तरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दे की जांच करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था। जैसा कि सभी जानते हैं, अब भारत की आन्तरिक सुरक्षा मुख्यतः सीमा पार की घटनाओं से प्रभावित और निर्धारित होती है। इसलिए इस ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है कि इस देश में सीमा की निगरानी किस प्रकार हो रही है। इसलिए, मंत्री समूह ने अपनी एक सिफारिश में उल्लेख किया था कि ये सभी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल अपने प्राथमिक कर्तव्यों की तरफ लौट जाएं। यदि आप सीमा सुरक्षा बल में हैं तो आपको सीमा पर जाना चाहिए। यदि आप केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में हैं तो आप को आन्तरिक सुरक्षा संबंधी कर्तव्य निभाने हैं। यदि आप भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, जो सीमा रक्षक बल है, में हैं तो आपको सीमा पर जाना चाहिए।

अब यह एक नया सीमा रक्षक बल है। इसके साथ ही, तीन नए सीमा रक्षक बल होंगे। मेरे मन में यह आशंका है कि इन तीनों के मध्य समन्वय संबंधी समस्या उत्पन्न होगी। इस समन्वय का आयोजन और निगरानी भारत सरकार द्वारा की जानी चाहिए। मेरी भारत सरकार से यह प्रार्थना है कि यह कार्य होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे थोड़ा समय और दीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। यह नया विधेयक है। इसलिए मेरे मन में कुछ धारणाएं हैं जो मैं इस माननीय सभा के समक्ष रखूंगा।

तीनों सीमा रक्षक बलों के मध्य यह समन्वय बेहद महत्वपूर्ण है। एक समन्वय तंत्र होना चाहिए ताकि कर्तव्यों की अतिव्याप्ति न हो। मैं विशेष रूप से नव गठित एसएसबी और आई.टी.बी.पी. के सन्दर्भ में कह रहा हूं। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आई.टी.बी.पी. के होते हुए एस.एस.बी. की क्या जिम्मेदारियां होंगी चूंकि भारत–तिब्बत सीमा और भारत–नेपाल सीमा, विशेषकर उत्तराखण्ड में कुछ ऐसे भाग हैं इसलिए जिम्मेदारी के वास्तविक निर्धारण के प्रश्न की सावधानी से जांच करनी होगी। यह सब हो जाने के बाद सम्भवतः सरकार को यह निर्णय भी करना चाहिए कि क्या इस नए बल को इस तरह तैनात किया जाए कि इसका भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के साथ टकराव न हो। मेरी यह आशंका दायित्वों की अतिव्याप्ति के बारे में है और इस बात का ध्यान रखने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए कि अतिव्याप्ति और समन्वय की समस्या न हो। दूसरी बात यह है कि – जैसा कि मेरे प्रिय मित्र श्री तापिर गाव ने उल्लेख किया, और मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं – सशस्त्र सीमा बल के लोगों के कल्याण का भी ध्यान रखा जाए। आज, उदाहरण के लिए उनको आवास सुविधा के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। उनके कल्याण के लिए बहुत कम काम किया गया है।

मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सीमा रक्षक बल विशेष रूप से सीमा सुरक्षा बल के उन जवानों की संख्या बहुत बड़ी है जो पूर्व पेंशन के हकदार होने पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति ले लेते हैं। अब, सरकार को अर्द्ध सैनिक बलों में कार्मिकों की इस प्रकार कम होती दर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से खतरे का सामना उस बल को भी करना पड़ेगा जो हम बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम इसे बना रहे हैं लेकिन हमें इसक साथ–साथ इन कार्मिकों के कल्याण का भी ध्यान रखना होगा। यदि हम इन लोगों के कल्याण का ध्यान नहीं रखेंगे तो कार्मिकों की इस प्रकार कम होती हुई दर में और वृद्धि होगी और सीमा सुरक्षा को कारगर बनाने का हमारा मन्तव्य पूरा नहीं होगा। इसलिए सरकार से मेरा यह निवेदन है कि वह इसकी जांच करे।

तीसरी बात यह है कि भारत–नेपाल सीमा, अर्थात्, बिहार के सीमावर्ती जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं, इस सीमा पर सशस्त्र सीमा बल को तैनात किया जाएगा। अब यहां यह उल्लेखनीय भी है कि यह मुख्य रूप से सीमा रक्षा और अन्य कर्तव्यों के लिए बनाई गई है। अब इन अन्य कर्तव्यों को नेपाल के साथ लगते बिहार के सीमावर्ती जिलों में व्याप्त वामपंथी उग्रवाद के विशेष सन्दर्भ में परिभाषित करना होगा। महोदय, वहां सशस्त्र सीमा बल और बिहार राज्य पुलिस के बीच बहुत अधिक समन्वय की जरूरत पड़ेगी। इसका कारण यह है कि नेपाल और भारत के बीच वामपंथी उग्रवादियों की बहुत आवाजाही होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेपाल में वामपंथी उग्रवादियों का प्रबल आन्दोलन चल रहा है और उनके बिहार विशेषकर बिहार के उत्तरी जिलों जो नेपाल की सीमा पर स्थित हैं, के लोगों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध हैं।

यदि सशस्त्र सीमा बल को हमारी उम्मीदों के अनुसार कार्य करना है, तो इसको बिहार राज्य की पुलिस के साथ मिल जुल कर कार्य करने की स्थिति में आना होगा ताकि पूरे क्षेत्र, नेपाल सीमा के चारों ओर बढ़

[श्री निखिल कुमार]

रहे वामपंथी उग्रवाद पर भी निगरानी रखी जा सके और आज यह उग्रवाद देश की सुरक्षा के लिए आंतकवाद से भी अधिक बड़ा खतरा बनने की स्थिति में है। इसको ध्यान में रखना होगा और बाद में सशस्त्र सीमा बल को यह नहीं कहना चाहिए कि यह हमारा काम नहीं है। इसको स्पष्ट किया जाए और अब भी जब यह विधेयक पारित किया जा रहा है तो इसको आवश्यक और उपयुक्त कार्यवाही हेतु सरकार के ध्यान में लाना होगा।

महोदय, मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि इस प्रारूप विधेयक के साथ सरकार द्वारा हमें दिए गए व्याख्यात्मक टिप्पण के अनुसार हम सब लोगों को यह उम्मीद है कि इसको भारत–नेपाल और भारत–भूटान सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। यह तो ठीक है लेकिन इसके साथ साथ विधेयक में यह उल्लेख किया गया है कि इसका उपयोग देश में सीमा रक्षा कार्यों के लिए किया जाएगा। इसलिए यदि इस सीमा रक्षक बल जिसे भारत–नेपाल और भारत–भूटान सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, को वहां से अचानक हटा लिया जाए और किसी अन्य स्थान पर तैनात कर दिया जाए तो क्या होगा? इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा यह मानना है कि इस बल को जिस सीमा की इसे निगरानी और रक्षा करनी है उस की भौगोलिक स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने के बाद वहां से अचानक हटा दिया जाता है तो महोदय, उनको नए इलाकों की समस्याओं को समझने में बहुत समय लग जाएगा।

महोदय, ये चार बिन्दु हैं जिन पर विचार करने के लिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की प्रशंसा और समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को लाने में बिल्कुल भी विलम्ब नहीं किया गया है और इसे पारित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति देने से पहले मुझे एक घोषणा करनी है। चूंकि आज की संशोधित कार्य सूची में यह अन्तिम मद है और यदि सभी की सहमति हो तो हम आज भोजनावकाश नहीं करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां महोदय, हम सब सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आज मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इस विधेयक पर बोलने वाले माननीय सदस्यों की एक लम्बी सूची मेरे पास है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपने भाषणों को बहुत संक्षिप्त रखें।

अब, श्री शैलेन्द्र कुमार। कृपया सुझाव दें और बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007 पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, माननीय गृह मंत्री जी यह जो विधेयक लाए हैं, उसका पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश की सीमा की रक्षा में जिन जवानों ने अपनी जान गंवाई, मैं उनकी स्मृति को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। चीन के हमले के बाद यह बल बनाने की सोच इसलिए पैदा हुई। वर्ष 1963 में इस बल का नाम विशेष सेवा ब्यूरो रखा गया था। वर्ष 2006 में राज्यसभा में इस बिल को प्रस्तुत किया गया और आज भी ये जवान भूतल से लगभग 18,000 फुट ऊंचे पहाड़ों पर हमारी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। इस बल का गठन नेपाल और भूटान से लगने वाली हमारी 1751 किलोमीटर लम्बी सीमा की सुरक्षा करने के लिए किया गया है। खासकर सीमा से लगे हुए हमारे गांवों या क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में कैसे सुरक्षा की भावना जागृत हो, इसके लिए इस बल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज जब इस बिल के बारे में इस सदन में चर्चा हो रही है, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह मांग करना चाहूंगा कि सीमा पर हमारे जो नौजवान तैनात होंगे, उन्हें अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस किया जाए क्योंकि सीमा पर जो ये नौजवान लगेंगे वे देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के लिए लगेंगे और आज जैसी हालत में आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ना पड़ रहा है, उसके हिसाब से इन्हें अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना होगा। प्रायः यह देखा गया है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित तमाम शिकायतें आती हैं, उन पर हमें कड़ाई से पालन करना होगा और क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ न कुछ करना होगा। सीमा पर हमारे जो जवान तैनात होते हैं, अक्सर यह सुनने में आता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली या अपनी ही सेना से लड़कर मरे। यह भी रिपोर्ट हमारे कई जवानों से मिली है, इस प्रवृत्ति को भी हमें रोकना होगा। ऐसी स्थिति तभी पैदा होती है जब सीमा पर तैनात जवानों को प्रमोशन मिलने में कोई दिक्कत होती है या वे घर जाने के लिए छुट्टी चाहते हैं या खुद बीमार हों या घर पर कोई बीमार हो या फिर घर में कोई कार्यक्रम जैसे शादी–ब्याह वगैरह हो या अधिकारी द्वारा उनका उत्पीड़न होता है, तभी यह देखने में आता है कि वे आत्महत्या करते हैं या लड़ते हैं। इन शिकायतों को भी हमें देखना होगा।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि सीमा पर हमारे जो नौजवान तैनात होंगे, चूंकि वे दूर सीमा पर, इंटीरियर क्षेत्र में तैनात होते हैं, उनके वेतन को भी उसी अनुपात में बढ़ाने की आवश्यकता है और उनके बच्चे जो उनके साथ न रहकर, उनके गांव में घर पर रहते हैं, की शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सीमा पर वे तमाम मौसम चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो, झेलते हैं और देश की सीमा की रक्षा करते हैं। हमें जाड़ों में उनके लिए गर्म ओवरकोट की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी तरह से गर्मियों में जब पसीना आता है तो उससे कपड़ों से एक केमिकल कास्टिक जैसा पदार्थ होता है, उसकी वजह से उनकी वर्दियां फट जाती हैं। इसलिए वर्दी पर विशेष ध्यान देना होगा। इसी तरह बारिश में उनके लिए रेनकोट की समुचित

व्यवस्था होनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष भर्ती के कैम्प तहसील मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय पर लगाए जाएं, ताकि अच्छे जवान भर्ती हो सकें।

आज विश्व एड्स दिवस है। हमने कल समाचार पत्रों में पढ़ा कि सीमा पर जो जवान तैनात हैं, वे पोजिटिव रोग से ग्रस्त हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं और यह मर्ज क्यों फैला है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हाल ही में हमने समाचार पत्रों में खासकर उत्तर प्रदेश की जो सीमा नेपाल से लगी हुई है, वहां नौतनवा बॉर्डर है, उसके बारे में पढ़ा। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर और सिद्धार्थ नगर जो बॉर्डर एरिया है, वहां नेपाल में रह रहे मधेशी जो भारतीय मूल के निवासी हैं, करीब 40,000 की संख्या में हमारे देश में आ गए हैं। उन्होंने सिद्धार्थ नगर में जिलाधिकारी के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन भी किया है कि हमें शरणार्थियों का दर्जा दिया जाए और यहां रहने की व्यवस्था की जाए। यहां हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो यह उग्रवादियों, माओवादियों और नक्सलवादियों की संख्या बढ़ी है, ऐसा तो नहीं कि मधेशियों के रूप में ये लोग हमारे देश में आ रहे हैं और कहीं उग्रवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। इस पर भी प्रश्न चिह्न लगा हुआ है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इनकी पहचान करने की जरूरत है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सेना में पासी रेजिमेंट बनाई जाए, क्योंकि पासी कौम बहुत ही बहादुर और स्वाभिमानी होती है। इसलिए सशस्त्र बलों में यह रेजिमेंट बनाई जाए। ये लोग सीने पर गोली खाकर आएंगे, पीठ पर नहीं, इसलिए इनकी भर्ती करके इन्हें सीमा पर तैनात किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गणेश प्रसाद सिंह। आप कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007 माननीय गृह मंत्री द्वारा सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया गया है। हम सबको और देश को गर्व है कि भारत की सीमाओं पर हमारी थल, जल और वायु सेना सुरक्षा के लिए मुस्तैद है और दुश्मन से लड़ने और युद्ध करने में कई बार अपने कार्य कौशल का परिचय दे चुकी है। हमें अपनी सेनाओं की बहादुरी पर फख्र है।

हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए पहले से कुछ सशस्त्र बल थे। उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि अनेक प्रकार की फोर्सेज का गठन किया गया था। ये सब हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। अब इस संबंध में यह सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007 लाया गया है। यह इसलिए भी जरूरी है कि आज जिस समय इन फोर्सेज का गठन हुआ था, तब से लेकर आज के मुकाबले स्थिति बेकाबू हो चुकी है, समस्याएं बढ़ रही हैं, हमारा बॉर्डर राजस्थान या पंजाब और अन्य क्षेत्रों का चाहे वह पाकिस्तान, तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान के साथ लगा हो या श्रीलंका के साथ मामला हो, इन तमाम जगहों पर घुसपैठ बढ़ रही है और इससे देश में उग्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ये लोग हमारे देश में शांति को भंग करना चाहते हैं। हम सुनते हैं कि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है, लेकिन देश की सुरक्षा केन्द्र की भी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से इस बल का गठन किया गया है।

महोदय, इस बिल में काफी लम्बी–चौड़ी करीब 156 धाराएं हैं, जिसमें इसे तैयार किया गया है। इस बिल में फोर्स के स्वरूप के बारे में बताया गया है। इनकी सेवा–शर्तों के बारे में गठन किया गया है। इन धाराओं में अपराध के बारे में भी बताया गया है। अन्य फोर्स जो हैं उनके बारे में पहले भी शिकायतें आती रही हैं। जैसा इसमें बताया गया है, मैं धारा को भी उद्धृत करना चाहता था। हमारी फोर्स में कहीं कोई शत्रु से मित्रता करता हो, कहीं तस्करी करने में मदद करता हो या कहीं और किसी के लिए, दुश्मन के साथ मिलकर गुप्तचरी का काम करता हो। यह भी उसमें प्रावधान किया गया है कि जो बिना कारण बताए, लम्बी अवधि तक छुट्टी पर चले जाएंगे, वे भी दंड के भागी होंगे। इन सब दंडों के लिए तीन तरह के न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है। उनके गठन में न्यायालयों का जो स्वरूप होगा, उसमें कहा गया कि जनरल एटोर्नी जज की बहाली होगी, उप–एटोर्नी जज की बहाली होगी और इनके द्वारा जो हमारे एटोर्नी जज होंगे, जज न्यायालय होगा, उनके द्वारा जो पीटिशन कोर्ट या समरी–कोर्ट के भी किसी पदाधिकारी की भी नियुक्ति होगी। इसमें मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं कि न्यायालय और न्याय में पारदर्शिता होनी चाहिए। अभी आरक्षी महानिदेशक रैंक के नहीं हैं, आरक्षी महानिरीक्षक रैंक के नहीं हैं, उपमहानिरीक्षक रैंक के नहीं हैं। इसमें जो जज का रैंक होगा, जो वहां के अटार्नी जज का रैंक होगा, वह सभी न्यायालयों में निर्धारित होना चाहिए और इसमें उसका प्रावधान करना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा एवीडेंस–एक्ट है, सीआरपीसी है, आईपीसी, इन सबकी गाइड–लाइन्स इंडियन एवीडेंस एक्ट में हैं। इंडियन एवीडेंस एक्ट के तहत जो अपराध करने वाले व्यक्ति हैं या जिन पर अपराध का आरोप लगता है, ऐसे व्यक्तियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने, केस में यथेष्ट अवसर देने का भी इसमें स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए।

[श्री गणेश प्रसाद सिंह]

जैसा हमारे साथी ने और कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा कि नेपाल से लगता हमारा बार्डर है। इसलिए अब चाहे माओवादी नेपाल में, सत्ता में भागीदार हो गये हों, लेकिन आज वे बिहार में अशांति फैला रहे हैं, बिहार में प्रवेश कर लोगों को भड़का रहे हैं और वहां अपराध कर रहे हैं। उसी प्रकार भूटान से, असम से, लंका से ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं। भारत की सीमा बड़ी लम्बी–चौड़ी है, इसलिए आज की परिस्थितियों को देखते हुए इसकी बहुत आवश्यकता थी। इसलिए माननीय मंत्री जी ने इस बिल को लाकर बहुत ही स्वागत–योग्य कार्य किया है। अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, अपने देश की सीमाओं पर रहने वाले फौजियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए, इस बिल को लाकर उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। समय का अभाव है इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

यह बल पिछले 40 वर्षों से अस्तित्व में है। इसने, हमारे देश की सीमा पर रहने वाली आबादी में सरकार की अच्छी छवि प्रस्तुत की है। जैसा कि कहा गया है इस विशेष सेवा ब्यूरो की स्थापना भारत–चीन युद्ध के पश्चात् वर्ष 1963 में की गई थी। इस बल का प्राथमिक उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में सीमापार से होने वाली घुसपैठ, विध्वंसकारी और विघटनकारी खतरों के प्रति प्रतिरोध की भावना पैदा करना और उनका मनोबल बढ़ाना था। उस समय इन्हीं तीन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था।

आज हमारे पास सीमा सुरक्षा बल है, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस है और वर्ष 2004 से यह नया नाम – सशस्त्र सीमा बल है। हमारे पास सीमा की सुरक्षा करने वाले तीन बल हैं। इस बल द्वारा तीन समस्याओं से निपटना होगा क्योंकि इसे भारत–नेपाल की सीमा और भारत–भूटान की खुली सीमा पर तैनात किया जायेगा और इसमें हमारे देश के लगभग 7 प्रान्त और लगभग 3,000 से 4,000 किलोमीटर खुली सीमा आती है। अतः, जहां तक मैं समझता हूं, इन समस्याओं को तीन तक सीमित किया जा सकता है। इनमें भारत–नेपाल सीमा पर व्यापक पैमाने पर तस्करी की समस्या से निपटना, अपराधियों और खुली सीमाओं पर होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकना तथा माओवादी समस्या, जो हमारे देश में गड़बड़ी पैदा कर रही है, से निपटना शामिल है। यह बल हिमालय क्षेत्र में कार्य करने जा रहा है जिसे विश्व का सर्वाधिक दुर्गम भू–भाग माना जाता है। अतः, बल के लिए वहां पर कार्य करना निश्चित तौर पर बहुत ही कठिन कार्य है क्योंकि वहां पर विशाल नदियां, दुर्गम भू–भाग और मौसम खराब रहता है। इसलिए, जब हम बल की संख्या पर विचार करते हैं तो हमें वहां पर मौजूद कठिन प्राकृतिक स्थिति पर भी विचार करना होगा।

जैसा कि पूर्व वक्ता द्वारा भी उल्लेख किया गया है कि इस विधेयक में 156 धारायें हैं और यह बहुत विस्तृत है। पहले के उपबन्धों में, सीमा की सुरक्षा करने के अतिरिक्त, गुप्तचर स्कंध को भी सुदृढ़ किया गया था। मैंने इस विधेयक को पढ़ा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि आप इस बल के गुप्तचर स्कंध को किस प्रकार सुदृढ़ करेंगे क्योंकि एक बल विशेषकर अर्द्धसैनिक बल द्वारा सीमा की सुरक्षा करने हेतु, गुप्तचर स्कंध को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस संबंध में पूर्व वक्ता श्री तापिर गाव ने यह बताया था कि यह बल पहले भी वर्ष 1963 से वर्ष 2003 तक था, तब यह लोगों द्वारा देखा जा रहा था और अनेक लोग इसमें लगे हुए थे।

जैसा कि मैं समझता हूं एक अन्य पहलू भर्ती है। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। श्री निखिल कुमार ने कर्मियों के बल को छोड़ कर जाने संबंधी पहलू का भी उल्लेख किया था। मैं यह कहूंगा कि स्वीकृत संख्या लगभग 47,000 की है जो इस बल हेतु कम है। परन्तु अब लड़ाकू और गैर–लड़ाकू कर्मियों के संबंध में, जिनकी भर्ती की गई है अभी भी लगभग 15,000 रिक्तियां हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लगभग स्वीकृत पदों के लगभग एक तिहाई पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। मैं यह जानना चाहता हूं, क्योंकि प्रतिवेदन मैंने पढ़ा है, इतनी रिक्तियां क्यों हैं, यह एक पहलू है।

दूसरी बात है भर्ती, जैसा कि बताया गया है भर्ती इस प्रकार की जाती है – स्थानीय क्षेत्र से 20 प्रतिशत, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों से 20 प्रतिशत और शेष देश से 60 प्रतिशत। जहां तक मैं समझता हूं, कुछ राज्यों हेतु कुछ मानदण्ड हैं। उनकी ऊंचाई मापी जाती है, उनका भार मापा जाता है और इस तरह की चीजें की जाती हैं। उड़ीसा में विशेष तौर पर जनजातीय जिले अधिक हैं। इन मानदण्डों के कारण, यद्यपि इन जिलों के स्थानीय लोग सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों में शामिल होना चाहते हैं, किन्तु वे शामिल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि उनकी ऊंचाई बिहार, झारखण्ड और मध्य प्रदेश में मापदण्डों के समतुल्य होती है, इसलिए वे भर्ती नहीं हो पाते हैं। मैं कालाहांडी जिले के बारे में बात कर रहा हूं। उड़ीसा का सीमावर्ती राज्य आन्ध्र प्रदेश है जहां ऊंचाई थोड़ी कम रखी गई है। इसलिए, उड़ीसा के लोगों को सेवा में प्रवेश करने से वंचित किया गया है। वो उसी जनजाति के लोग हैं जो आन्ध्र प्रदेश से सेवा में जाते हैं। मेरे विचार से माननीय मंत्री जी को इसकी जांच करनी चाहिए। ऊंचाई, वजन और अन्य विभिन्न माप संबंधी मापदण्डों की जांच की जानी चाहिए ताकि और अधिक लोग इस बल में भर्ती हो सकें।

अन्य चर्चित पहलू 'शत्रु' शब्द के बारे में है। खण्ड 2(1) (क) (झ) में यह उल्लेख किया है कि उनका कर्तव्य है "किसी शत्रु, के विरुद्ध कार्यवाही में संलग्न है, अथवा"। 'शत्रु' शब्द आगे खण्ड (झ) में और व्याख्या की गई है, जिसमें कहा गया है कि:

"(झ) "शत्रु" में सभी विद्रोही, सशस्त्र विद्रोही, सशस्त्र दंगाई, लुटेरे, आतंकवादी तथा शस्त्र सहित कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही करना किसी व्यक्ति का कर्तव्य है, शामिल है;"

जैसा कि हम समझते हैं, इस बल को खुली सीमा में तैनात किया जा रहा है। हमारे सामने ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि किस प्रकार से खुली सीमा पार करके हमारे देश में आकर आतंकवादी और माओवादी अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। इसलिए, मैं नहीं जानता कि इस विधेयक में "घुसपैठ" शब्द को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। इसमें 'घुसपैठ' शब्द और ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश में गड़बड़ी फैलाने के अन्य उद्देश्य से हमारे देश में अवैध रूप से आते हैं, को शामिल किये जाने की आवश्यकता है। हमने विस्फोट की कई घटनाएं देखी हैं, जो कि हैदराबाद, अजमेर, मालेगांव अथवा उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं। ये ऐसे उदाहरण हैं जहां पड़ोसी देश से लोगों ने खुली सीमा का लाभ उठाया है; हमारे देश में आये हैं; तथा इस प्रकार के विस्फोट किये हैं। इसलिए, घुसपैठियों और अवैध अप्रवासियों को भी शत्रु माना जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम अपने देश में इस तरीके से घुसपैठ की समस्या को रोक सकते हैं।

मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, किन्तु अंत में, मैं केवल पद्मनाभैया समिति के प्रतिवेदन की याद दिलाना चाहता हूं। समिति ने अपनी सिफारिशें दी हैं और उनमें से एक सिफारिश यह है कि सीमा पर तैनात बलों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। हमारी सीमाओं की रक्षा करने हेतु, कठिन भू-भाग में तैनात बलों को प्रेरित करने हेतु, यदि आवश्यक कदम उठाये जाते हैं, तो हमें प्रसन्नता होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता श्री सी.के. चन्द्रप्पन हैं। कृपया अपना भाषण संक्षेप में दें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कृपया इसे अन्यथा नहीं लें किन्तु मैं नहीं जातना हूं कि नाम में इस संस्कृत – हिन्दी का प्रयोग किया गया है। नाम को कम से कम अंग्रेजी में कोष्ठक में दिया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं 'सशस्त्र सीमा बल' नाम को नहीं समझ सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं हिन्दी अथवा किसी अन्य भाषा के विरुद्ध हूं।

इस विधेयक में यह परिकल्पना की गई है कि अब संविधि द्वारा विशेष सेवा ब्यूरो प्रदान किया जा रहा है। यह अच्छा है किन्तु मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। हमारे पास अनेक सीमा सुरक्षा बल हैं जो निस्संदेह भिन्न कार्य कर रहे हैं। क्या यह अच्छा नहीं है कि हमारे पास संयुक्त कमान हो और इन सभी को उनके अन्तर्गत एक पृथक डिविजनों के रूप में रखा जाये? अपनी कमान सहित अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ संभवतः हमारे रक्षा व्यय में बढ़ोत्तरी होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको शीर्ष स्तर पर इन सभी व्यवस्थाओं हेतु शीर्ष अधिकारियों की आवश्यकता होती है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पहलू पर हमें जानकारी दें कि क्या इसे तर्कसंगत बनाया जा सकता है?

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक के खण्ड 13 में यह कहा गया है कि इस बल के व्यक्ति किसी संगठन, ट्रेड यूनियन आदि में शामिल नहीं होंगे। ऐसा समझा जा सकता है कि इस तरह के बल में इस प्रकार के संगठनों को अनुमति नहीं दी जा सकती है। परन्तु उनके कल्याण का ध्यान कौन रखेगा? मुझे उनके कल्याण हेतु कोई विशेष व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। कल्याण का अभिप्राय है आवास, यात्रा, छुट्टी और अन्य सुविधायें। 60% बलों की भर्ती पूरे देश से की जायेगी। मान लीजिए केरल से एक व्यक्ति को रेलगाड़ी में तीन दिन से ज्यादा समय की यात्रा करनी होती है। यदि उसे छुट्टी स्वीकृत की जाती है, परन्तु रेलगाड़ी आरक्षण हेतु कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाती है, तब उस व्यक्ति को बिना आरक्षण के यात्रा करनी होगी जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें वह उदण्ड हो जाये। ऐसे मामले हैं जिनमें वे अन्य व्यक्तियों की सीटों पर कब्जा कर लेते हैं और लोगों के साथ झगड़ा करते हैं। इस तरह की बातें हुई हैं। अतः, एक निश्चित कल्याण कार्यक्रम होना चाहिए। अधिकारियों को अच्छे आवास, भोजन, छुट्टी, यात्रा और अन्य सुविधायें सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।

मैं समझता हूं कि उन्हें सभी प्रकार के शत्रुओं से निपटना पड़ेगा, परन्तु हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हाल ही में, विशेषकर कश्मीर और पंजाब में हमारे बलों पर लोगों को मारने का दोषारोपण किया गया है और यह कहा गया कि ये व्यक्ति कार्यवाही में मारे गये हैं। इसके बारे में मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट हैं। अनेक शिकायतें भी हैं। इस समस्या से कैसे निपटा जायेगा? उन्हें कुछ संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही, यह देखा जाना चाहिए कि उन्हें अपनी सीमा पार नहीं करनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कैसे सुनिश्चित किया जायेगा।

ये कुछ प्रश्न हैं, जिनका उत्तर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं कुछ बातें संक्षेप में बताऊंगा ताकि आप मंत्री जी का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो।

अन्ततः यह विधेयक कानून बनाने के लिए संसद के समक्ष आया है। इस विधेयक की आवश्यकता थी ताकि सेनाओं को अनुशासन में

[श्री अब्दुल रशीद शाहीन]

रखने हेतु हम उन पर कुछ कानूनी नियंत्रण कर सकें। मैं देख सकता हूं कि इस विधेयक की धाराओं में अनुशासनिक कार्यवाहियों, विशेष अदालतों आदि का उल्लेख है। निस्संदेह इसकी जरूरत है किंतु मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाता हूं कि हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले तथा महान कार्य करने हेतु अपने जीवन को दांव पर लगाने वाले लोग कई बार मुश्किल स्थिति में फंस जाते हैं। एक समिति के दौरे पर मैं लद्दाख में था जब कुछ लोगों ने मुझे अभ्यावेदन किया कि उनके पास कई सुविधाएं नहीं थी और इसी कारण वे मुश्किल स्थिति में फंसे थे। उनमें से कुछ लोग तो सेनाओं को छोड़कर जाना चाहते थे। अतः, सर्वप्रथम हमें सेनाओं का ख्याल रखना चाहिए। एक अप्रसन्न सेना न तो अच्छी तरह से वफादार हो सकती है न ही आधुनिक बन सकती है। अगर सेनाओं की व्यक्तिगत समस्यायें हैं तो वे समस्यायें अनेक कार्यों में झलकेंगी।

दूसरे, क्योंकि नेपाल सीमा की रक्षा करने हेतु हमने एक विशेष सेना बनाई है, अतः हमें इन सेनाओं को कुछ प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। हम नक्सलवाद आंदोलन, वामपंथियों आदि की समस्या का सामना कर रहे हैं। संभवतः विशिष्ट स्थितियां हैं जिनके लिए हमें कर्मियों को कुछ ज्ञान देकर प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, जिसमें वे ये समझें कि वे किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, अर्द्धसैनिक बलों द्वारा किये गये सारे बलिदानों और कश्मीर एवं अन्य स्थानों पर की गई महान सेवा के बावजूद, कुछ आरोप और आचारहीनता है जिनसे दुर्भाग्यश लोग्गें में भारी उथल-पुथल मची है। उनकी उपलब्धियां उन छोटी घटनाओं से धूमिल हुई झलकी हैं जो घटित हुईं। मैं समझ सकता हूं कि सेनाओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव और उनकी अन्य परेशानियों के कारण ऐसी चीजें होती हैं।

यदि हम उन्हें इस दौरान कुछ ज्ञान और आदान देकर अथवा पाठ्यक्रम मुहैया कराकर उनका ख्याल रखें और उन क्षेत्रों, जहां वे तैनात हैं, की विशेषताओं के बारे में शिक्षित करें, तो अच्छा होगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सेनाओं को दी जाने वाली छुट्टियों तथा अन्य सुविधाओं संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान दें ताकि वे प्रसन्न रहकर अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभायें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सशस्त्र सीमा बल बिल, 2007 का पुरजोर समर्थन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले उत्तर दिशा से हम निश्चिंत थे कि हिमालय जैसा पर्वतराज हमारा प्रहरी है। लेकिन 1962 में हिन्दी चीनी भाई-भाई कहने वाले मुल्क ने अपने ही दोस्त के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद 1963 में इस बल का गठन किया गया, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, नाम तो वही है सीमा सशस्त्र बल और स्पेशल सर्विस ब्यूरो, लेकिन इनके काम बढ़ गये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पहले यह कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत आता था, लेकिन अब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया है। पहले इसका काम पूरे पहाड़ी क्षेत्र में था, जम्मू से लेकर हिमाचल, उत्तरी आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि में पहले इसका गुप्त सूचनाओं के आदान-प्रदान का कार्य था, यानी इसका गुप्तचरी का काम था। पहले यह बल यूनिफार्म में नहीं रहता था, लेकिन अब यह यूनिफार्म में रहने लग गया है और इसका दायरा बढ़ गया है। अब इसकी ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था करते हुए आप इसका गठन करने जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि एक काम अच्छा करते हुए हम दूसरी गुप्तचरी का काम तथा सूचनाएं एकत्र करने का काम या अन्यान्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के काम में कहीं पिछड़ न जायें। क्योंकि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स नेपाल और भूटान इन दोनों देशों की सीमाओं तक सीमित रहेगी और सीमा की रक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व इस सीमा सशस्त्र बल को प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से यह अपनी सेवाओं में खरा उतरेगा। हमें अपनी भारतीय सेनाओं एवं अपने अर्द्ध सैन्य बलों के कार्यों पर अत्यधिक गर्व है। हमें बहुत गौरव का अनुभव होता है कि वे विषम परिस्थितियों में भी, चाहे देश की सीमाओं की रक्षा हो, चाहे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का प्रश्न हो, अपने परिवार आदि की चिंता न करते हुए बहुत दृढ़ता के साथ शत्रु का मुकाबला करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि चाहे सीआरपी हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो और चाहे सीमा सुरक्षा बल हो, इन्हें विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दिये जाने की आवश्यकता है। इनके पास नवीनतम हथियार हों। टेलिकम्यूनिकेशन, संचार के साधन भी इनकी टुकड़ियों के पास हों। मैंने यह पूरा पढ़ा है, हो सकता है कि अज्ञानता के कारण मुझे नजर न आया हो कि इसका मुख्यालय कहां पर होगा, ग्रुप हैडक्वार्टर्स कहां होंगे। आपने यह तो बता दिया कि 31 बटालियन होंगी। लेकिन जैसे आईटीबीपी का मुख्यालय वहां है, ट्रेनिंग सैन्टर वहां है। सीआरपीएफ का मुख्यालय वहां है। इसके अलावा सारे देश के अंदर अलग-अलग ग्रुप हैडक्वार्टर्स हैं। ऐसे ही इसका नेपाल, भूटान की बॉर्डर पर गार्डिंग फोर्स बनेगा, इसके मुख्यालय की लोकेशन कहां पर होगी, इसके बारे में भी यदि कोई जानकारी दे सकें तो बहुत अच्छा होगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन जैसा हमने स्वयं स्वीकार किया है कि डिसिप्लिन ऑर्डर आने के लिए और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। आजकल अखबारों में बहुत पढ़ने को मिलता है कि जवान ने अपने अधिकारी को राइफल का निशाना बना दिया। कभी-कभी जवान आपस में लड़ पड़ते हैं या जवान जब सिविल लोगों के सम्पर्क में आते हैं, तब भी कुछ

घटनायें घटित हो जाती हैं। ऐसे मामलों में मैं समझता हूं कि अधिकारियों को भी संवेदनशील होना चाहिए। जैसा हमारे मित्रों ने कहा कि बीमारी के समय छुट्टी देनी चाहिए। मैं स्वयं ऐसे परिवार से आता हूं, मेरे पिता जी खुद फौज में सिपाही थे। मेरे ताऊ जी के दो लड़के अभी भी सीआरपीएफ में हैं। हमें मालूम है कि हमारे घर में शादी या गमी हो गई और एकदम से तार दिया और जवान छुट्टी मांगता है और ऐसे समय में उसे छुट्टी नहीं देते हैं। परिणामस्वरूप उनके मन के अंदर दुर्भावना पैदा होती है। आपने इसमें बहुत अच्छा किया है कि ऐसे विवादास्पद प्रसंगों में फोर्स कोर्ट, जनरल फोर्स कोर्ट, पैटी फोर्स कोर्ट, समरी फोर्स कोर्ट इत्यादि वादों की स्थिति से पहले फोर्स में ही निबट लें और फिर उसके बाद कोर्ट में जाने की नौबत आए। ऐसी स्थिति किसी के लिए भी न आए। हमारे जवानों के साथ अधिकारियों का तालमेल इतना अच्छा हो, इतनी अच्छी सुविधाएं उन्हें दी जाएं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा, आवास, कल्याणकारी गतिविधियों का यदि ध्यान रखा जाए तो वास्तव में कार्य करता हुआ जवान, बहता हुआ पानी और चलता घोड़ा हमेश एक्टिव रहता है। मै। समझता हूं कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है।

मान्यवर, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि माओवाद और नक्सलवाद इन विचारधाराओं के बारे में कि वहां कौन से लोग हैं, कैसे लोग हिन्दुस्तान में प्रवेश कर रहे हैं, इन सबके बारे में भी हमारे जवानों को बताया जाना चाहिए क्योंकि नेपाल की स्थिति इन दिनों विषम है। पहले वह हमारा मित्र देश था। वहां के नागरिक इधर आ सकते थे और इधर के भी वहां जा सकते थे, पासपोर्ट की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी लेकिन अब पाकिस्तान का या कहीं का भी आतंकवादी नेपाल में होकर हिन्दुस्तान में आ जाता है। नकली नोट पाकिस्तान के द्वारा बनाये हुए नेपाल में पहुंचकर हिन्दुस्तान में आ जाते हैं।

भूटान भी हमारा मित्र देश है, नेपाल और भूटान में यदि माओवादी और नक्सलवादी गतिविधियां नहीं हों तो ऐसे आतंकवादी तत्व हिन्दुस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएं। इन सबके बारे में भी हमारे जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

मधेशी लोग जो तराई क्षेत्र में रहने वाले हैं। वे अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं क्योंकि अभी तक भाईचारा था, ऐसे समय में उनको ठीक से टैकल करना चाहिए ताकि कोई नई समस्या पैदा नहीं हो, इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान रखेंगे। आपने बोलने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री देवव्रत सिंह (राजनंदगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, चाहे समुद्री सीमा की बात करें, चाहे राजस्थान के रेगिस्तान की बात करें, चाहे कश्मीर की घाटियों की बात करें और चाहे हम पूर्वोत्तर की बात करें, यदि हम देखें तो पाएंगे कि आज जो हमारी सेनाएं हैं, सेनाओं के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी की जिम्मेदारी बन गई है और सुरक्षा की दृष्टि से अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वह जिम्मेदारी हमारे सीमा सुरक्षा बलों की है। चाहे समुद्री सीमा में कोस्ट गार्ड होते हैं चाहे हमारे बीएसएफ जो राजस्थान और पाकिस्तान की सीमाओं में काम कर रहे हैं, विशेषकर जो जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे हैं, चाहे हमारे सीमा सुरक्षा बल हैं जो भारत-नेपाल और भारत-भूटान की सीमा पर काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से चाहे बर्फ की बात हो चाहे रेगिस्तान की बात हो या समुद्र की बात हो, इन सभी मामलों में हमारे अर्द्धसैनिक बल तथा सीमा सुरक्षा बलों ने काफी महेनत की है। इनकी भूमिका कहीं भी हम सेना से नीचे नहीं ला सकते।

आज जो माननीय मंत्री जी ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया है, इस सीमा सुरक्षा बल एक्ट के माध्यम से न केवल सीमा सुरक्षा बल एक राष्ट्रीय संस्थान और राष्ट्रीय अर्द्धसैनिक बल के रूप में साबित हो जाएगा बल्कि पहले इसकी जो भी पृष्ठभूमि थी, जो यह पहले नेपथ्य में रहकर काम करता था लेकिन अब एक स्वतंत्र व संवैधानिक रूप से उसको कार्य मिल जाएंगे और सीमा सुरक्षा बल के जो आंतरिक कानून हैं, नियुक्ति, बर्खास्तगी, बहाली सेवाएं, दंड, सेवा शर्तें, न्यायालय तथा अधिकार इत्यादि बहुत स्पष्ट रूप से इस विधेयक के माध्यम से वे परिभाषित हो जाएंगे और इसका अपना एक संवैधानिक स्वरूप प्राप्त हो जाएगा।

महोदय, मैं यहां बताना चाहूंगा कि पहले सीमा सुरक्षा बल जिस तरह से बनाया गया था और सीआरपीएफ के कानून के तहत उसकी कार्यप्रणाली चलती थी लेकिन जिस तरह से आईडीएफ और अन्य सीमा पर जो काम करने वाले बल हैं, आर्सेनिक बल हैं, उनके समकक्ष अब यह सीमा सुरक्षा बल हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से कुछ बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें जो सैक्शन 21 और 74 है, ये जो हमारे जवान होते हैं, सीमा सुरक्षा बल और उनके सैनिक होते हैं, उनकी छुट्टी से संबंधित इसमें प्रावधान हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा है और समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि छुट्टी के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण या उच्चाधिकारियों के दबाव के कारण जो निर्णय होते हैं, कभी-कभी जवान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति होने से बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर स्थिति का निर्माण होता है। मेरा आग्रह है कि विधेयक में जवानों की छुट्टी के प्रश्न को स्पष्ट रूप से प्रावधान किया जाना जरूरी है। इसके अलावा विधेयक में जवानों के वेतन और वेलफेयर एक्टिविटीज़ संबंधी बातों का स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि

[श्री देवव्रत सिंह]
भविष्य में संशोधन द्वारा इसमें इस तरह का प्रावधान करेंगे। जो जवान सीमा पर अर्द्ध सैनिक बलों के रूप में काम करते हैं और मुठभेड़ में रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, अगर उनके परिवार के आश्रितों के लिए अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति का प्रावधान इस विधेयक में किया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। इससे सशस्त्र सेना के जवान और अधिकारी हैं, उनके अंदर मनोबल का संचार हो जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के अध्याय 11 के खंड 153 में शक्तियों, कर्तव्यों और संरक्षण के बारे में कहा गया है। चूंकि भारत–नेपाल और भारत–भूटान सीमा पर सशस्त्र सेना बल रहेगी लेकिन यहां सब से बड़ी समस्या यह है कि नेपाल में माओवादी टेकओवर करते हैं यहां नीचे एक रैड कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, हमारी सीमा पर अवैध रूप से प्रवेश करते हैं। जब अवैध रूप से प्रवेश करने वालों की या उनके दस्तावेजों की शिनाख्त करने की बात आती है तो बिना राज्य की स्थानीय पुलिस की जानकारी के गुप्तचर व्यवस्था नहीं की जा सकती है। यह भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि उनके अधिकारी को एक पुलिस अधिकारी के रूप में अधिकार मिलने चाहिए। अगर उनका स्पष्ट नियोजन किया जाता तो निश्चित रूप से सशस्त्र सेना बल के अधिकारी और सक्षम रूप से काम कर सकते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐतिहासिक विधेयक है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज (इदुक्की) : महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा। पंडित जी के समय में गठित किया गया विशेष सेवा ब्यूरो को माननीय गृह मंत्री और मंत्रालय बहुत समर्थता के साथ सशस्त्र सीमा बल में पुनर्गठित कर रहे हैं।

इस सेना का मूलभूत कर्त्तव्य भारत और भूटान तथा भारत और नेपाल के बीच सीमा की रक्षा करना है। नेपाल में समस्याओं के चलते फिलहाल भारत–नेपाल सीमा बहुत संवेदनशील हो गई है और ये समस्यायें बिहार एवं उत्तर प्रदेश के भागों जैसे हमारे सीमावर्ती राज्यों में भी आ रही हैं। हमारे पास सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड्स, असम राइफल्स और रैपिड़ एक्शन फोर्स जैसे अर्द्ध सैनिक बल हैं। उसी के अनुरूप अब हम एसएसबी का गठन कर रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे ये देखें कि यह एक अत्याधुनिक प्रशिक्षित बल बने जो खासकर इन बहुत ही संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी निभाने हेतु सुसज्जित हो।

आज एक रिपोर्ट आई है कि रक्षा मंत्री जी नथुला का दौरा करने जा रहे हैं जो कि चीन से लगती हमारी सीमा है। इन रिपोर्टों के बीच हो यह समाचार भी है कि चीन से हमारे क्षेत्र में घुसपैठ हो रही है। इन लोगों को बहुत ही संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जायेगा। स्वभाविक रूप से, उनके बीच काफी तनाव होगा। मुझ से पहले बोलने वाले लगभग सभी सदस्यों ने कई प्रकार की अनुशासनहीनता का उल्लेख किया जो इन सेनाओं में व्याप्त है जिन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया गया है। हमारे कार्मिक कितने भी प्रशिक्षित हों उनमें तनाव व्याप्त होना स्वाभाविक है। अतः, विशेष सेनाओं को गठन करते समय काफी सावधानी और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

हाल ही में, कश्मीर क्षेत्र में एक घटना हुई है जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के एक अधिकारी को उसके ही लोगों ने एक छोटी सी बहस पर गोली मार दी। यह सब इस बात का संकेत है कि हमारी सेनाओं को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

महोदय, यह कहा गया है कि बीएसएफ के दो लाख कर्मियों में से, पिछले 30 महीनों में 41,000 लोगों ने नौकरी छोड़ दी है तथा अन्य अर्द्ध–सैनिक बलों में से भी लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। एक तरफ जब आप भर्ती रैलियां आयोजित करते हैं। उदाहरणार्थ – केरल जैसे राज्य में – हमें सेनाओं में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी–चार्ज करना पड़ता है। किंतु दूसरी ओर, यदि भर्ती होने पर वे असंतुष्ट महसूस करते हैं और सेनाओं में नौकरी करने में उन्हें मुश्किल होती है, तो या तो इन सेनाओं को दिये जाने वाले प्रशिक्षण अथवा इन सेनाओं को संभालने में कोई दोष है।

अतः, मेरे विचार से इन कार्मिकों को घर जैसा माहौल मिले क्योंकि वे अपने परिवारों से बहुत दूर रहते हैं। स्वभाविक रूप से, उन्हें अपने परिवारों की चिंता होगी। उनके बूढ़े मां–बाप होंगे। उनकी पत्नियां अथवा उनके बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता होगी। अगर अधिकारी वर्ग उनमें आत्मविश्वास जगाने और उन्हें घर जैसा माहौल देने में असमर्थ हैं, तो स्वाभाविक तौर से असंतोष और समस्यायें होंगी। वर्तमान में तो सेनाओं में आत्महत्या दर भी बढ़ रही है।

अतः, मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसे एक आदर्श सेना के रूप में तैयार करें। हम अपने कार्मिकों को अत्याधुनिक सुविधाएं दें ताकि वे अपने परिजनों से बातचीत कर सकें। अब हमारे पास सभी सुविधाएं हैं। हमारे पास मोबाइल सेवाएं, दृश्य संचार सुविधाएं आदि हैं। ये सभी सुविधाएं उन्हें देनी होंगी।

रक्षा संबंधी स्थाई समिति में होने के नाते मैं नाथुला पास गया था जो समुद्र तल से लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर है। वहां पर सांस लेने में भी तकलीफ होती है। जब हमारे सैनिक हमारी सीमाओं एवं देश की रक्षा करने के लिए ऐसी खतरनाक और विषम परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी करते हैं, तो उन्हें उचित सुविधाएं दी जानी चाहियें। केवल तभी वे हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप सेवा प्रदान कर पायेंगे और अपने कर्त्तव्यों को निभा पायेंगे।

कई प्रावधान किये गये हैं किंतु मैं इन सबकी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। मंत्रालय ने बहुत ही विस्तृत और परिपूर्ण विधेयक तैयार किया है। मुझे आशा है कि यह सेना अपने कर्त्तव्यों का पूरी तरह निर्वहन करेगी और राष्ट्र की आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी।

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम) : महोदय, प्रारंभ में, मुझे खेद है कि मैं इस विधेयक का नाम और सेना का नाम ठीक प्रकार से उच्चारित नहीं कर पाऊंगा। इस सशस्त्र सीमा बल का उद्देश्य हमारी सीमाओं की रक्षा करना है किंतु खंड 4 में, यह स्पष्ट है कि इस सेना को विदेशी कार्यों समेत अन्य कार्य नहीं सौंपे जा सकते हैं। उस संदर्भ में, इस सेना को एक और साधारण नाम दिया जा सकता था बजाय ऐसा नाम दिये जाने के जिसके उच्चारण में कठिनाई होती हो।

हमारी सीमाओं की रक्षा करने हेतु हमारे पास कई सेनाएं हैं। मुझे उनकी सही–सही संख्या तो मालूम नहीं है किंतु मुझे आश्चर्य होता है कि इन सेनाओं के बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जा सकेगा। अच्छा होता यदि एक साझी सेना अथवा संयुक्त कमान के लिए एक व्यापक विधान लाया जाये। यद्यपि, इस सेना का प्रथम कर्त्तव्य हमारी सीमाओं की रक्षा करना है, तथापि इसका संपर्क सिविल सोसाइटी से भी अवश्य होगा। पूर्वोत्तर राज्यों, कश्मीर और अन्य राज्यों, जहां हमारे जवान सिविल सोसायटी के संपर्क में आते हैं, में हमारा अनुभव यह है कि वहां पर हमेशा झगड़े एवं अशांति होती है तथा और शिकायतें आती रहती हैं। विमानपत्तनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों, जहां से सेनाएं रक्षा कर रही हैं, में भी हमारा अनुभव ज्यादा संतोषजनक नहीं है। अतः, इन जवानों को इस बाबत प्रशिक्षण दिया जाये कि वे सिविल सोसायटी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। इस क्षेत्र में यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने के नाम पर आधिकारिक प्रतिबंध लगाये जा रहे हैं और इन सेनाओं के सदस्यों को उचित प्रशिक्षण तथा उचित निर्देश दिये जायें ताकि वे सिविल सोसायटी से तदनुरूप बर्ताव करें।

अपराह्न 2.00 बजे

मैं विधेयक, जो व्यापक है, के अन्य पहलुओं की बात नहीं कर रहा हूं। विधेयक के एक खंड से जो बात स्पष्ट है वह यह है कि इस सेना के सदस्यों को किसी संगठन अथवा संघ में शामिल होने से रोका जायेगा। तथापि, उन्हें पूर्णतः सामाजिक, मनोरंजन संबंधी अथवा धार्मिक सोसायटी से संबद्ध होने की अनुमति है। इस खंड की व्याख्या करना मुश्किल है क्योंकि संगठन की राजनीतिक पैठ तो होती ही है, उदाहरणार्थ – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो सामाजिक संगठन होने का दावा करता है। यह एक खतरनाक प्रावधान और इसलिए इसकी बहुत विशिष्ट परिभाषा और व्याख्या की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक बहुत अच्छा विधान है। इस विधेयक का आशय एक विशेष सेवा ब्यूरो को एक सक्रिय इकाई अथवा सशस्त्र सेना में बदलना है ताकि हमारी सीमाओं की और प्रभावी ढंग से रक्षा हो सके। वर्तमान में, हमारी सीमाओं पर अनेक गतिविधियां चलती रहती हैं। हमारे पड़ोसियों, चाहे वे पूर्व में हों अथवा पश्चिम में, के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं हैं। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि चीन के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में दो बंकरों को उड़ा दिया है। वे अरुणाचल क्षेत्र के अन्दर आये और उनके दो बंकर उड़ा दिये। अतः, इन परिस्थितियों में, हम अपनी सीमाओं को पूर्णतः सुरक्षित और संरक्षित नहीं कह सकते। इस परिदृश्य के दृष्टिगत, माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को आईटीबीपी के विधेयक की तर्ज पर लाकर अच्छा कार्य किया है। मेरे विचार से, विधेयक में अंतर्विष्ट उपबन्ध हमारी सीमाओं पर नियंत्रण रखने में प्रभावी साबित होंगे।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दो विशेष प्रश्न पूछना चाहूंगा। इस संगठन को अब तक सशस्त्र सेनाओं की दूसरी रक्षा रेखा माना गया है। वे मुख्यतः सशस्त्र सेनाओं और भारत सरकार को खुफिया जानकारी मुहैया कराने का काम करते थे। अब, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया है। अब, यह विधेयक पारित होने के बाद, क्या उन लोगों, जो सात कंपनियों में 41 बटालियनों में परिवर्तित होने जा रहे हैं, के कल्याण के लिए पर्याप्त अवसंरचना मौजूद है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे उन लोगों, जो सियाचीन ग्लेशियर में कार्य करने वाले लोगों की तरह विषम परिस्थितियों में काम करते हैं और मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरते हैं और आत्महत्यायें भी कर बैठते हैं, को उचित अवसंरचना मुहैया कराने का आश्वासन देंगे जिससे उनका अच्छा मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित हो। उनके बच्चों की शिक्षा, पर्याप्त स्टाफ क्वाटर और उचित चिकित्सा सुविधायें मुहैया कराने हेतु उचित प्रावधान किये जाने चाहिए।

महोदय, यहां पर यह उल्लेख किया गया है कि बल के गैर वर्दीधारी सिविल संघटक को 1965 के सीसीएस और सीसीए नियमों के अंतर्गत ही रखा जाएगा और अन्य केन्द्रीय सिविल नियमों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जायेगा। मैं नहीं जानता कि इसे समाप्त करने का प्रस्ताव क्यों किया गया है। किसी भी शासन, साम्राज्य में या फिर किसी भी संप्रभुता संपन्न राष्ट्र अथवा राज्य में मजबूत गुप्तचर तंत्र होना चाहिए। समुचित आसूचना सेवा आवश्यक है क्योंकि आसूचना की असफलता के कारण देश में आतंकवाद संबंधी कई घटनाएं घट रही हैं। इसके अतिरिक्त हमारी पश्चिमी सीमाओं से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है।

यह तस्करी भारत–नेपाल बॉर्डर, बर्मा बॉर्डर और म्यांमार बॉर्डर के माध्यम से हो रही है। अतः किसी भी पुलिस बल अथवा किसी भी

[श्री बिक्रम केशरी देव]
सशस्त्र बल के लिए समुचित रूप से कार्य करने और अपराध रोकने के लिए मर्म स्थल पर चोट करने के लिए इस प्रकार की गुप्तचर सेवा का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र को उद्धृत करना चाहूंगा। उसने चन्द्रगुप्त को परामर्श दिया है कि उसे अपनी गुप्तचर प्रणाली को अनिवार्यतः मजबूत बनाना होगा और सभी महान साम्राज्यों में शताब्दियों से एक अच्छा गुप्तचर तंत्र मौजूद रहा है। यह पद्धति मुगल साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य या उसके बाद भी बनी रही है। परंतु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे बलों से गुप्तचर प्रणाली समाप्त क्यों की जा रही है। वे सीमाओं पर होने वाले अपराधों संबंधी सूचना के महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र की भूमिका निभाते हैं।

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जिसमें हमारी सीमाओं पर सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए सशस्त्र सेना का गठन और विनियम करने का प्रावधान है।

विधेयक के गठन के संबंध में विधेयक के खण्ड 4 के प्रश्न पर मैं माननीय गृह मंत्री से और माननीय अध्यक्ष से अपील करना चाहूंगा। 1962 की लड़ाई के बाद सीमावर्ती राज्यों में नवयुवकों को गुरिल्ला युद्ध कला में प्रशिक्षण दिया गया था। यह प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र जिसे अब उत्तराखण्ड कहा जाता है, में किया गया था। अब कई युवाओं को इस गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से कुछ युवाओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर रखी है। उच्च न्यायालय ने इन युवाओं को एसएसबी सेवाओं में समामेलन का निर्देश दिया है।

उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के युवकों और महिलाओं द्वारा लम्बे समय से इस बात के लिए आंदोलन किया जा रहा है कि या तो उन्हें बल में समाविष्ट किया जाये या उन्हें कुछ लाभ दिए जाएं।

अब, मैं माननीय गृह मंत्री से अपील करता हूं कि खण्ड 4 के अन्तर्गत इस बल का गठन करते समय उत्तराखण्ड में गुरिल्ला युद्ध कला में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके इन युवक और युवतियों को बल की भर्ती में वरीयता दी जाए। यह नेपाल की ओर जाने वाले मार्ग की राज्य सीमा है और यहां पर बढ़ रहा माओवाद हमारे राष्ट्र के लिए एक खतरा है। वे युवा जो वर्षों से गुरिल्ला युद्ध कला में प्रशिक्षण पा रहे हैं, और जिनकी आयु अधिक हो चुकी है उन्हें समामेलन के समय वरीयता दी जाए। इस सेवा में एक गुप्तचर तथा एक सिविल स्कंध होना चाहिए ताकि प्रशिक्षण प्राप्त उन युवाओं और युवतियों को, जिनकी आयु अधिक हो चुकी है, को सिविल कार्य दिए जाएं या उन्हें खुफिया तंत्र में रखकर हम सीमावर्ती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशिक्षण प्राप्त इन देशभक्त व्यक्तियों के प्रति न्याय कर सकें।

अतएव, मेरी माननीय गृह मंत्री जी से यही अपील है। इन लोगों के पास अपने रिकार्ड हैं। यह प्रक्रिया वर्ष 2003, जब तक कि इसे एनडीए सरकार ने भंग नहीं कर दिया, तक बदस्तूर जारी रही। यदि इन बलों को दिमाग में रखा जाए और यदि उनके हितों की रक्षा की जाये तो उत्तराखण्ड के लोग मौजूदा सरकार के आभारी रहेंगे।

डा. एच.टी. संगलिआना (बंगलौर उत्तर) : मैं इस विधेयका का पुरजोर समर्थन करता हूं और अपनी तथा इस संगठन में सेवा कर चुके कि एसएसबी के सभी अधिकारियों की ओर से माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं क्योंकि विशेष रूप से 1990 के दशक में कई अवसरों पर एसएसबी को समाप्त करने की धमकी दी गई थी। वस्तुतः 10 वर्षों की लंबी अवधि तक इस संगठन में कार्य करने के कारण शायद मैं आज इस विषय पर बोल पाने वाला सबसे उपयुक्त सदस्य हूं।

सर्वप्रथम, मैं तैनाती के संबंध में सिफारिश करना चाहूंगा कि एसएसबी को केवल नेपाल और भूटान सीमाओं तक सीमित करने की बजाय उनकी तैनाती का स्थान आईटीबीपी और बीएसएफ जैसे अन्य संगठनों के साथ अन्तर परिवर्तनकारी होना चाहिए। जैसे कि पहले भी देखा गया है कि किसी इकाई को लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनात रखने से उनके बीच स्थानीय लोगों के साथ अत्यधिक मेल–मिलाप, विरोधियों के एजेंटों तस्करों के साथ सांठ–गांठ, जैसी अवांछित स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अतएव, तैनाती के स्थान के पहलू पर पुनः विचार किया जाना चाहिए और इन्हें अन्य दो संगठनों के साथ अन्तर परिवर्तनकारी बनाया जाना चाहिए।

भर्ती के संदर्भ में, जैसाकि अन्य वक्ताओं ने कहा है हमारे पास बहुत सारे स्वयंसेवी युवक और युवतियां हैं जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध कला तथा अन्य सामाजिक गतिविधियां, जो अब एसएसबी में नहीं हैं, प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनमें से कई व्यक्ति इस संगठन, जिसमें कि वे कई कारणों से प्रवेश नहीं पा सके थे; में सेवा प्राप्त करने के अवसर का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अतएव मेरा सुझाव है कि भर्ती के पहले चरण में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों, जहां एस.एस.बी. को तैनात किया गया था, में एस.एस.बी. या ग्राम स्वैच्छिक बल के भूतपूर्व कर्मचारियों की संतानों को लिया जाए ताकि उनकी जीवन भर की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

इसकी भूमिका के संबंध में मैं यह सिफारिश भी करना चाहूंगा कि इसमें पहले की तरह गुप्तचर विभाग भी होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि मुझे अपने समय का सबसे अच्छा काम करने वाला डिविजनल अधिकारी माना जाता था। मैं मणिपुर और नागालैण्ड में प्रभारी डिविजनल अधिकारी था। एस.एस.बी. मुख्यालय को ऐसी बहुत सी गुप्तचर रिपोर्टें दी गई जिन पर कार्यवाही की जा सकती थी। गुप्तचर विभाग किस प्रकार स्थापित किया जाए इस बात का ब्यौरा सावधानी पूर्वक तैयार किया जाए।

हमें नागरिक सुविधाएं, जैसे असैनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने, ग्राम आरामगाहों अथवा सामुदायिक भवनों अथवा बैचलर हाउस अथवा इस प्रकार के सामाजिक रूप से कुछ उपयोगी निर्माण कार्य जारी रखने चाहिएं। सीमावर्ती क्षेत्रों में मित्र बनाने का यह बहुत सही तरीका होगा क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करना आवश्यक है क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का सुदृढ़ आधार तैयार होता है।

जहां तक बल के कारगर होने का संबंध है, हमें सीमाओं पर समुचित बाड़बंदी करने की जरूरत है। सरकार ने बुद्धिमता का परिचय देते हुए हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बाड़बंदी करने का विधेयक पहले ही खारिज कर दिया था। लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हुआ है। मिजोरम–बर्मा जैसे सीमा क्षेत्रों में सीमाओं के साथ–साथ पक्की सड़कों के अभाव में एक फुट भी बाड़बंदी नहीं हुई अथवा एक खम्भा भी नहीं गाड़ा गया है।

मैं सरकार से यह सिफारिश करना चाहता हूं कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ–साथ लगते आधा किलोमीटर के क्षेत्र को सीमा आरक्षित क्षेत्र घोषित करें। यदि हम इस प्रकार के क्षेत्रों को सीमा आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दें तो स्वतः ही अन्तर्राष्ट्रीय सीमा आरक्षित क्षेत्रों का नियन्त्रण केन्द्र सरकार के पास आ जाएगा जिससे बटालियन मुख्यालय स्थापित करना और गश्त के लिए सीमा सड़कों का निर्माण करना और सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य का रख रखाव इत्यादि करने का काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं देश में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगने वाले क्षेत्र में सीमा–रेखा आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश करना चाहता हूं।

जहां तक नाम का सम्बन्ध है, मैं इस बात से अवश्य सहमत हूं कि इसका नाम सरल होना चाहिए जिसका उच्चारण करना लोगों को आसान लगे, तब भी जब हम इस बल को विदेश में तैनात करें।

मेरा अंतिम मुद्दा सीमा सशस्त्र बल की भूमि के बारे में है। हमने विगत में सीमा–सशस्त्र बल बटालियन मुख्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से भूमि अधिगृहित की है अथवा खरीदी है। कुछ राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों का विकास करने के लिए भूमि वापस लेना चाहती हैं। उदाहरण के लिए मिजोरम में सीमा सशस्त्र बल ने आइजोल और कोलसिब में भूमि ली है। कोलसिब जिले के उपायुक्त का कुछ सरकारी भवनों के निर्माण हेतु भूमि वापस लेने के लिए सीमा सशस्त्र बल के निदेशालय के साथ पत्र व्यवहार चल रहा है तथा मामला अभी भी लंबित है। मेरा यह अनुमान है कि अब सीमा सशस्त्र बल राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस प्रकार के मसलों का हल शीघ्रातिशीघ्र निकालें।

श्री एस.के. खारवेन्थन (पलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं सशस्त्र सीमा बल विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री जी की भी प्रसंशा करता हूं। वास्तव में यह विधेयक बल के गठन और इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण करने के लिए लाया गया है।

महोदय, इस विधेयक में नियुक्ति सेवा काल और अध्याय तीन के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर विस्तार से चर्चा की गई है। अध्याय तीन के अंतर्गत अपराधों के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है और निश्चय ही इस प्रस्ताव से बल का सरलीकरण होगा और बल में कार्य कर रहे हमारे लोगों में नैतिकता की भावना भी बढ़ेगी।

महोदय, इस विधेयक में शिकायतों के निपटान के संबंध में खण्ड 14 और 15 के अधीन अलग से उपबन्ध किए गए हैं। धारा 14(1) अधिकारियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की शिकायतों से संबंधित है। अधिकारियों को छोड़कर सेवा में कार्य कर रहे अन्य व्यक्ति वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करवा के अपनी शिकायतों का निवारण करवा सकते हैं। अधिकांश मामलों में हमने देखा है कि गैर–अधिकारियों के साथ संबंधित वरिष्ठ अधिकारी दुर्व्यवहार करते हैं। इस प्रस्ताव से उनको निश्चय ही संरक्षण प्राप्त होगा।

महोदय, खण्ड 15 के अधीन अधिकारियों की शिकायतों के निवारण के लिए अलग से उपबन्ध किया गया है।

महोदय, मैं यह उल्लेख भी करना चाहूंगा कि चाहे सेना के जवान हों या वायुसेना के, वे बांग्लादेश सीमा पर पाकिस्तान सीमा पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनको दो–तीन वर्ष तक कोई छुट्टी नहीं दी जाती है और वे अपने परिवारों के सदस्यों से नहीं मिल सकते हैं।

महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रीय एच.आई.वी./एड्स बचाव दिवस है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के कुछ जवान इस रोग से ग्रस्त हैं और परीक्षण से उनके इस रोग से ग्रस्त होने की बात सिद्ध हुई है। इसका कारण यह है कि उनको तीन–तीन वर्ष तक भी घर जाने और परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है। उन्हें वर्ष में एक बार 15 दिन या एक महीने की छुट्टी देने का प्रावधान अवश्य ही किया जाए। यह उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझावों में से एक है जो मैं इस गौरवशाली सदन के सामने रखना चाहता हूं।

महोदय, सुरक्षा बलों में भर्ती होने वाले नवयुवकों को पर्याप्त और समुचित वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। आजकल, नवयुवकों को अन्य क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा वेतन मिल रहा है। इसलिए, सरकार को आगे आकर उन्हें अच्छे वेतन और अन्य सभी लाभ प्रदान करने चाहिए, केवल तभी नवयुवक इन बलों में कार्य करने के लिए आयेंगे।

महोदय, ये मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय (सरगुजा) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007 पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। हमारे मित्रों ने इस बारे में बहुत सारे बिन्दुओं को अपने अभिभाषण में स्पष्ट किया है। मैं केवल दो–तीन बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जब आप सशस्त्र सीमा बल का गठन कर रहे हैं या इस तरह के किसी भी बल का गठन होता है, तो उसका वहां पूरे राष्ट्र परिवार से अलग एक नया परिवार बसता है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद चाहे पुलिस हो या हमारी सशस्त्र सीमा बल हो, उनका प्रशिक्षण जिस प्रकार का होना चाहिए, उसमें कमी दिखायी पड़ती है। यह बात अनुभव भी की जा रही है। हमारे मित्रों ने भी प्रशिक्षण के बारे में कहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो प्रशिक्षण हो, उसमें एक परिवार का भाव हो, जो अधिकारी बनायें, वे अत्यंत संवेदनशील, न्यायप्रिय और कुशल व्यक्ति होने चाहिए। राष्ट्र और परिवार को चलाने के लिए जो प्रमुख होता है, वह जितना कुशल होगा, उतना ही उस संगठन को मजबूत और गतिशील बना सकता है। पहला भाव यह है कि सीमा पर और जैसे आज किनारे की स्थितियां बिगड़ रही हैं, उसमें ज्यादा जरूरी हो गया है कि राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पित होकर ये जवान वहां काम कर सकें। यह स्थिति कब उत्पन्न होगी? सबसे पहले शारीरिक रूप से उनको जो सुविधायें आप देने जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। वे मन से किसी प्रकार से दुखी न हो। हमारे मित्रों ने बहुत सारी बातें रखी हैं। एक तो वह नये परिवार में वहां रह रहा है। वहां आपस में सब का समन्वय हो। अलग–अलग जो सीमा के सुरक्षा बल हैं, उनके समन्वय की बात भी कही गई है। एक भाव उनके मन में है कि वे अपने परिवार से दूर हैं और बड़े परिवार से जाकर एक छोटे परिवार में हैं, जो सीमा पर बना है। उसके लिए ऐसा प्रशिक्षण होना चाहिए।

मैं समझता हूं कि यदि उसके मन में कर्त्तव्य बोध की उत्फुल अनुभूति हो रही है तो वह उसे पूरी ताकत और प्राण लगाकर करेगा। आज आधुनिक शस्त्र आ गए हैं, घुसपैठियों के नए–नए तरीके आ गए हैं। जिस तरह अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर जवानों को भरमाने की कोशिश की जा रही है, उस समय उसे राष्ट्र भाव ही अडिग रखता है। जब तक उसके मन में यह भाव रहेगा कि यह पृथ्वी माता हमारा विशाल परिवार है, इसकी रक्षा के लिए मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह किसी भी स्थिति में किसी प्रलोभन में डिग नहीं सकता। इसलिए आपको सीमा पर काम करने वाले लोगों के मन में यह भाव भरना पड़ेगा। उनके लिए ऐसे प्रशिक्षण हों, वहां तैनात अधिकारी इतने कुशल हों कि अपने प्रमुख को देखते ही खड़े हो जाएं। उनके मन में यह भाव होना चाहिए कि हमारा प्रमुख यहां आया है और वह सबके हित की देखभाल कर रहा है। उनका प्रमुख बहुत न्यायप्रिय होना चाहिए। यदि कोई गड़बड़ है या कोई न्याय करना है, किसी गलती पर दंडित करना है, यदि उसमें उसकी न्यायप्रियता रहेगी, तो निश्चित रूप से जवान अपने कर्त्तव्य पर डटा रहेगा। आपको उनके मन में यह भाव भरना है कि यदि सारा राष्ट्र सुख–चैन की नींद सो रहा है, सारे राष्ट्र में अमन का भाव है, तो वह मेरे कारण है। इसलिए आपने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें कानूनी प्रावधान बहुत हैं। व्यावहारिक और अन्तर्मन को छूने वाला प्रावधान, जो प्रशिक्षण से आने वाला है, यदि आप उसे पूरा कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से राष्ट्र की रक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल का गठन करने जा रहे हैं, वह पूरा होगा। मैं समझता हूं कि आप इन सारे भावों को सामने रखकर इसे पूरा करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मैं सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सन् 1962 में चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई थी और उसके बाद 1963 में एसएसबी का गठन हुआ था। इसके खास तौर से दो–तीन मानक रहे हैं – सीमावर्ती क्षेत्रों में रहकर लोगों के बीच सुरक्षा की भावना बढ़ाना, अवैध प्रवेश, तस्करी, अवैध कार्यकलापों को रोकना और तीसरी बड़ी बात रही है इंटैलीजैंस सेवा देना। इन्हें यह तीन महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। मैं समझता हूं कि एसएसबी अभी भारत–नेपाल सीमा पर लगभग बीस जेलों में फैली 1,751 किलोमीटर और भारत–भूटान सीमा के साथ लगभग 120 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे सात सीमावर्ती राज्यों में कार्य कर रही है। एसएसबी के तीन फ्रंटियर हैं और आठ क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। माननीय मंत्री जी ने इस संगठन की सीमा चौकसी बल के रूप में जो भूमिका तैयार की है, उसे मॉडर्नाइज और सुसज्जित करने के लिए लगभग 444.33 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक हथियार और उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। यह सब कार्य किए गए हैं जो निश्चित तौर पर सराहनीय हैं। मैं समझता हूं कि उनके ऊपर जो दायित्व हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि वे उन दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह बात सही है कि दोनों सीमावर्ती इलाकों में कहीं न कहीं कमी है जिसकी वजह से तस्करों की गतिविधि रहती है। अवैध रूप से हथियार रखने या ड्रग्स वगैरह लाने में उनकी गतिविधि रहती है। हमारे देश में माओवादियों के आने का भी जोर चल रहा है। खासतौर से मैं दो क्षेत्र की चर्चा करना चाहता हूं जहां एसएसबी लगा हुआ है। पहला भूटान और दूसरा बिहार का वह क्षेत्र जो नेपाल से सटा हुआ है। इन दोनों जगहों पर माओवादी गतिविधियां बड़े पैमाने पर चालू हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जवान अपने दायित्वों का कहीं न कहीं पूरे तौर पर निर्वहन नहीं कर रहे जिसकी वजह से इस तरह की गतिविधियों हमारे देश में हो रही हैं। मैं आपको बताना

चाहता हूं कि एसएसबी निश्चित तौर पर बहुत यूजफुल और डिसिप्लेन्ड सशस्त्र बल है। लेकिन इनकी जो गतिविधियां हैं, खास तौर पर बिहार से सटे हुए इलाके में इनकी जो गतिविधियां हैं, मैं यहां पर उसकी चर्चा करना चाहता हूं ताकि माननीय मंत्री जी उस पर थोड़ा गौर करें।

महोदय, इस सशस्त्र बल का काम बहुत सीमित है, लेकिन ये लोग अपने कार्य से मतलब नहीं रखते, जैसी मैंने चर्चा की है। ये लोग अपने कार्य से बाहर जाकर आम सिविलियन की जिंदगी में भी प्रवेश कर जाते हैं। उनके घरेलू पारिवारिक झगड़ों में हस्तक्षेप करते हैं यानी वे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह बिल्कुल निर्देशित है कि ये लोग सिविलियन क्षेत्र में 10 किलोमीटर से ज्यादा अंदर नहीं जा सकते। लेकिन ये लोग 20 किलोमीटर तक अंदर चले जाते हैं और वहां लोगों के घरेलू झगड़ों में हस्तक्षेप करके उनको डराने धमकाने का काम करते हैं। उनसे पैसा वसूलने का भी काम करते हैं। मैं सब पर चार्ज नहीं लगाता लेकिन कुछ छिटपुट घटनाएं हो रही हैं जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मधुबनी का इलाका नेपाल से सटा हुआ हैं। आप कहें, तो हम गांव की चर्चा भी कर देना चाहते हैं। वहां एसएसबी लोगों के घरेलू पारिवारिक झगड़ों में हस्तक्षेप करते हैं। वे अवैध हथियार रखने के मामले में लोगों को फंसाते हैं और उनसे 10 या 20 हजार रुपए लेकर उनको हरास करने का काम करते हैं। हमारा कहना है कि उनको अपने कार्यबोध का ज्ञान देने के लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। उन पर कड़ाई करने की आवश्यकता है। उनसे कहा जाये कि उनकी जो जिम्मेदारी है, वे उसका निर्वहन करें, न कि आप अपने पद, बल, आर्म्स का दुरुपयोग करके आम लोगों के जन–जीवन को अस्त–व्यस्त करने का काम करें। माननीय मंत्री जी का कई बार इस बारे में ध्यान भी आकर्षित कराया गया है कि माओवादी नेपाल में गतिविधियां कर रहे हैं, वही हमारे देश में भी आकर उथल–पुथल करने का काम कर रहे हैं।

महोदय, आपको मालूम होगा कि सीतामढ़ी इलाके में कुछ लोगों ने सांसद श्री सीताराम बाबू के घर पर हमला किया था। वे सब नेपाल से आये हुए माओवादी लोग थे। हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं, बिहार से सटा हुआ इलाका है जहां बड़े पैमाने पर माओवादी आकर अस्थिरता पैदा करने का काम कर रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने नोट्स, ड्रग्स की तस्करी करने की चर्चा की है। मैं सोचता हूं कि इसको और शैड्यूल करने की जरूरत है। उनको उनके कार्य के प्रति बोध कराने की जरूरत है। उन पर जो विशेष दायित्व है, उन्हें उस पर अनुशासित रहकर निर्वाह करने का काम करना चाहिए। अगर इंटेलीजैंस ठीक तरीके से काम करेगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी। वह आम तौर पर सरकार को इन्फार्म करता है ताकि चौकसी बरती जा सके। माओवादी गतिविधियों में लगे हुए जो लोग हैं, उन पर हमें रोक लगाने का काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी निश्चित तौर पर ऐसी चीजों पर विचार करेंगे। इस बिल में धारा 156 है। यह बिल बहुत अच्छा है इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सभी लोगों को अहसास है कि एसएसबी अपने दायित्वों का निर्वाह पूर्ण तौर पर नहीं करते। भूटान और नेपाल की सीमा से लगे हुए इलाके हैं, वहां एसएसबी अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश में मोओवादी लोगों की संख्या बढ़ रही है, तस्करी की संख्या बढ़ रही है। इससे हमारा देश अस्थिर हो रहा है।

महोदय, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सीमावर्ती क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन पर आप निश्चित रूप से गौर करने का काम करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ सके और वे अपने दायित्वों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें।

मैं पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अर्द्ध–सैनिक बलों के सभी सदस्यों जिन्होंने अपनी सीमाओं की सुरक्षा में अपने जीवन का बलिदान दिया, की याद में श्रद्धांजलि देना चाहता हूं।

वस्तुतः, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि इस सभा के सभी पक्षों से सभी दलों से संबंधित सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। अधिकांश सभी सदस्यों ने अर्द्ध–सैनिक बलों और सशस्त्र सीमा बल के सदस्यों द्वारा भी किये गये कार्य की प्रशंसा की है। सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं और उनके द्वारा दिये गये अधिकांश सुझाव अर्द्ध–सैनिक बलों के सदस्यों के कल्याण से संबंधित हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अपने दिमाग में इन सुझावों को रखेंगे और उन पर कार्यवाही करेंगे। हमने उनकी मदद करने के लिए पहले ही कुछ कदम उठा लिये हैं तथा और अधिक कदम उठाने की आवश्यकता है और हम उन दुर्गम क्षेत्रों जिनमें वे रहते हैं में उनके जीवन को और अधिक सुविधाजनक और रहने योग्य बनाने हेतु निश्चित तौर पर और अधिक कदम उठायेंगे।

अनेक सदस्यों ने यह कहा है कि ये लोग बहुत ही ऊंचाई पर रह रहे हैं। इनमें से कुछ सदस्य 18,000 फीट की ऊंचाई पर रह रहे हैं। 18,000 फीट की ऊंचाई पर रहना बहुत ही कठिन कार्य है और फिर भी वे वहां पर रह रहे हैं और अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। एक अथवा दो सदस्यों ने यह कहा है कि जब वे सीमा क्षेत्रों से अपने स्थलों पर वापिस जाना चाहते हैं तो उन्हें रेलगाड़ी से यात्रा करनी होती है और उनके लिए रेलगाड़ी से लंबी दूरी की यात्रा करना और उन्हें समुचित ढंग से दी गई छुट्टी का उपयोग करना बहुत ही कठिन हो जाता है। हमने पहले ही इस मुद्दे को देख लिया है और हम यह देखना चाहते हैं कि सीमा क्षेत्रों में रह रहे रक्षा बलों के सदस्यों को दी गई

[श्री शिवराज वि. पाटील]
सुविधायें उन्हें भी दी जायें। मैं उठाये गये कदमों के सभी ब्यौरों को नहीं देखना चाहता हूं और सरकार को कल्याणकारी उपाय करने के लिए कहते हुए माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर टिप्पणी करना मेरे लिये आवश्यक नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सभी सुझाव वैध हैं और हम निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही करेंगे।

एक अथवा दो अन्य बातें की गई थीं। एक प्रश्न यह पूछा गया कि क्यों कुछ रिक्तियां हैं। यह बहुत ही वैद्य प्रश्न है और मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सशस्त्र सीमा बल में सभी रिक्तियों को भरना चाहते हैं। मुझे यह कहा गया है कि जहां तक कांस्टेबलों का संबंध है कांस्टेबल की रिक्तियों को पूरी तरह से 4–5 माह में भरा जाने वाला है। तत्पश्चात्, अधिकारियों के पदों के संबंध में कुछ कठिनाई है क्योंकि उन्हें ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वाह करना होता है जिनकी कठिन प्रकृति है। अनेक लोग इन बलों में शामिल नहीं हो रहे हैं और इसलिए उच्चतर स्तर पर निरीक्षकों और अन्य अधिकारियों के पदों को भरना थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है परन्तु हम कदम उठायेंगे और यह देखेंगे कि इन रिक्तियों को भरा जाये। यह बहुत ही वैध बात है।

उठाया गया एक मुद्दा संयुक्त कमान से संबंधित था। यह सुझाव दिया गया था कि क्यों हमारे पास संयुक्त कमान नहीं होना चाहिए। इस बात को महसूस किया जाना चाहिए कि सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) पाकिस्तान और भारत के बीच तथा बांग्लादेश और भारत के बीच सीमाओं पर खड़ा है। सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान की सीमाओं पर है। आई.टी.बी.पी. यह बल है जो तिब्बत और भारत के बीच सीमा की सुरक्षा कर रहा है। इसलिए, देश भिन्न है, विभिन्न स्थलों पर सीमाओं के दोनों तरफ मौजूदा स्थितियां भिन्न हैं तथा ये बल भिन्न–भिन्न समय पर अस्तित्व में आये हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये गये हैं। इसलिए, उन्हें एकत्र कर एक नियंत्रण के तहत लाना संभव नहीं होता है।

हमारे पास अपने रक्षा बल हैं। यहां पर सेना है परन्तु सेना का भी विभिन्न कमान में विभाजन हुआ है जैसे कि पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, केन्द्रीय कमान, दक्षिणी कमान, उत्तरी कमान और इसी तरह अन्य बातें। इन कमानों के अन्तर्गत ये बल कार्य कर रहे हैं।

अब, यहां पर हमारे पास पहले से ही विभिन्न बल हैं। सीमा सुरक्षा बल एक बल है, सशस्त्र सीमा बल एक अन्य बल है, आई.टी.बी.पी. तीसरा बल है, असम राइफल चौथा बल है जो म्यांमार और अन्य राज्यों से सटी हुई सीमा की रक्षा कर रहा है। इसलिए, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि यह एक अच्छा सुझाव है कि सभ बलों को एक कमान के अंतर्गत लाया जाना चाहिए क्योंकि वे उन क्षेत्रों में मौजूद विभिन्न प्रकार की स्थितियों से निपट रहे हैं और इन बलों को इस तरीके से जिस तरह से अब उनका कमान किया जा रहा है कमान करने को जारी रखना और अधिक उपयोगी होगा।

महोदय, एक प्रश्न जो पूछा गया और बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न था कि क्या विगत में सशस्त्र सीमा बल द्वारा किया गया कार्य उनके द्वारा उसे किया जाना जारी रहेगा। यह बहुत ही वैध प्रश्न है। तथ्य के रूप में सशस्त्र सीमा बल के सभी सदस्य वर्दी नहीं पहन रहे थे और अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे थे तथा अन्य बलों द्वारा वर्दी में जिनका निर्वाह किया जाता है। एक अन्य बात जो वो कर रहे थे वह उन क्षेत्रों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाना तथा उनकी मदद करना था। वे सिविल कार्यकलापों संबंधी कर्त्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे। वे लोगों की मदद कर रहे थे तथा लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे। सशस्त्र सीमा बल द्वारा इस कार्य को किया जाना जारी रहेगा। अन्य कार्य यह था कि इस प्रक्रिया में उन्हें कुछ सूचना मिल रही थी। अब, हम अपने बलों से सूचना प्राप्त करने हेतु आशा करते हैं जिससे उन्हें अपने कर्त्तव्यों का समुचित ढंग से निर्वाह करने में मदद मिलेगी। उनके द्वारा इस कार्य को भी किया जाना जारी रहेगा।

हम कुछ और बटालियन बना रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल में लगभग 21 बटालियन को शामिल किया जा रहा है। सशस्त्र सीमा बल के लिए यह अतिरिक्त लोग होने जा रहे हैं और जिस तरह से वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते आ रहे हैं वैसे ही वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह जारी रखने की स्थिति में होंगे। तथ्य के रूप में हम अन्य बलों से भी यह आशा करते हैं कि वे कुछ कर्त्तव्य का निर्वाह करना जारी रखें जिन्हें ये बल कर रहे हैं। कुछ हद तक उनसे भी इस क्षेत्र में रह रहे सिविल लोगों की मदद करने के लिए कहा गया है जहां पर वे अनेक तरीकों से कार्य कर रहे हैं ताकि उन्हें उस क्षेत्र में रह रहे लोगों का सहयोग प्राप्त हो।

महोदय, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है। यदि इस बल के कार्यकलाप में कोई कमियां पाई जाती हैं तो हमारा प्रयास यह देखना होगा कि उन कमियों को दूर किया जाये और यहां पर सुधार भी हुआ है।

मैं पुनः माननीय सदस्यों का इस विधेयक का समर्थन करने और बहुत अच्छे सुझाव देने हेतु धन्यवाद करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संघ के सशस्त्र बल के गठन और विनियमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 156 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 156 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा सोमवार, 3 दिसम्बर, 2007, के पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.42 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा सोमवार, 3 दिसम्बर, 2007/12 अग्रहायण, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/30/12/2007 (एन.)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।